तब्लीग़ी जमाअ़त

उलैमा-ए-किराम के अक़्वाल की रोशनी में

मोअल्लिफ़

शैख़ मुहम्मद बिन नासिर अल अरीनी

नाम किताब : तब्लीग़ी जमाअ़त

मुअल्लिफ़ : मुहम्मद बिन नासिर अल अरीनी

पेज : 56

संख्या : 1100

सन इशाअ़त : 2012

कम्पयूटर कम्पोज़िंग : तनवीर ग्राफ़िक्स दिल्ली

प्रकाशक : अल–कुरआन इन्टरनेशनल

क़ीमत : 25/-

फेहरिस्त मज़ामीन

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अजमईन।

अम्मा बअद!

अभी हाल ही में मेरी नज़र से एक किताब गुजरी। जिसका नाम है "कश्फुस्सत्तार अमा तहमिला बअज़ अल दअवात मिन अख्तार"। इस किताब के लिखने की वजह "तब्लीगी जमाअत" की हक़ीक़त बतलाना है। जिसने आजकल सादा लोह इन्सानों खुसुसतन मुसलमानों को अपने मक्र व फरेब के जाल में गिरफ्तार कर रखा है। यह जमाअत अपने एतेकादात व नज़रियात और अपने मनहज व मसलक में बेहद गुमराह कुन जमाअत है। जैसा कि इस जमाअत के बारे में तफ़सीली मालूमात और खबर रखने वाले असहाबे फिक्र व नज़र ने वाज़ेह किया है।जिनके बयान में ज़रा भी शक की गुंजाइश नहीं है कि यह जमाअत एक गुमराह जमाअत है।

इनके साथ शिरकत करना, इनके साथ तआवुन करना ओर इनके साथ निकलना ये सब हराम हैं। मुसलमानों पर इस जमाअत से बचना ज़रूरी है। मैं इन्तेहाई मुखलिसाना अन्दाज़ में इस जमाअत के जिम्मेदारों को नसीहत करता हूं कि वो अपनी गल्तियों पर शर्मिन्दा होकर अल्लाह से तौबा करें और "अहले सुन्नत वल जमाअत" के मसलक को इख्तियार कर लें। साथ ही पहले अपने मुल्क हिन्दुस्तान व पाकिस्तान में दअवतका फरीज़ा अदा करें।

इर्शादे बारी तआला है– "अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइये।" (शोअरा–आयत–214) ओर "चाहिए की अपनी कौम को डराएं, जब वोह उनके पास लौटे शायद कि वोह लोग बचें।" (तौबा–आयत–122) और यह कि "ऐ ईमान वालों! तुम किताल करो उन काफिरों से जो तुम्हारे करीब हैं और चाहिए कि वोह तुम्हारे अन्दर सख्ती महसूस करें और जान

लो कि अल्लाह डरने वालों के साथ है।" (तौबा–आयत–123) सबसे पहले इस जमाअत को (अपने) अकीदे की इस्लाह पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि अकीदा असल ओर बुनियाद है और यही वह अकीदा ए तौहीद है जिसकी दावत तमाम अम्बिया किराम अलैहिस्सलाम और खुसुसन हमारे नबी मुहम्मद सल्ललाहु अलैहि व सल्लम ने दी और जिस दावत की बुनियाद अकीदा ए तौहीद पर नहीं है, वह बिल्कुल बातिल व बेकार है मैं अपने तमाम मुसलमान भाईयों को इस जमात से दूर (अलग) रहने की नसीहत करता हूँ, सलाह देता हूँ। ताकि उनका अकीदा खराब होने से बचा रहे और अवाम और बच्चे भी उनकी फरेबकारी से महफूज़ रह सकें। खास तौर पर हमारा मुल्क सऊदी अरब जिसमें हरमैन शरीफैन है और जो मुहम्मदी दअवत का सरचश्मा है। मै इस किताब के मुअल्लिफ फ़ज़ीलतुल शैख मुहम्मद बिन नासिर अल अरीनी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूं जिन्होने इस जमाअत की हक़ीक़त को वाज़ेह किया। अल्लाह उन्हें इसका बेहतरीन बदला दें।

व सल्लललाहु अला नबीयिना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही अज्मईन।

सालेह बिन फ़ोज़ान बिन अब्दुल्लाह फ़ोज़ान

6 मुहर्रम 1423 हिजरी

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

यह हक़ीक़त है कि अक़ीदा तौहीद ही असल दीन है। नूह अलैहि. से लेकर रसूले करीम मुहम्मद सल्ल लाहु अलैहि व सल्लम तक की दावत यही अक़ीदा तौहीद ही रही है। अल्लाह का दीन एक है। वक़्त और जगह बदलने से दीन नहीं बदलता। इर्शादे बारी तआला है– तहक़ीक़ कि हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा ताकि तुम एक अल्लाह ही की इबादत करो और तागूत से बचो।" (नहल–आयत–36) और हमने तुम से पहले कोई रसूल नहीं भेजा। मगर हम उसकी तरफ इसी बात की वहय करते रहे कि नहीं है कोई मअबूद सिवाए मेरे। लिहाजा तुम लोग मेरी ही इबादत करो।" (अम्बिया–आयत–25) और यह कि "उन्हें इस बात का हुक्म दिया गया था कि वो लोग एक मअबूद की इबादत करें। नहीं है कोई मअबूद मगर वही (अल्लाह) वह ज़ात पाक है उससे जिसको वो शरीक बनाते हैं।" (तौबा–आयत–21)

बेशक! दअवते तौहीद यह है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया जाए और उसकी इबादत में किसी दूसरे को शरीक करने से रोका जाए। वह शरीक चाहे कोई मुकर्रिब फरिश्ता हो या कोई नबी, कोई वली हो या कोई ओर हो वगैराह–वगैराह। जब दावत का यह अक़ीदा और नज़रिया होतो उसका तकाज़ा यह है कि वह तमाम आदात व तकालीद और तमाम बातिल इबादात जो इस अकीदा ए तौहीद के खिलाफ हों और जिसे नफ्स परस्तों ने ईजाद किया हो, उसकी मुखालिफत की जाए। हमारे बुजुर्गो ने इस पर बड़े अच्छे काम किये हैं। उन्होने सुन्नते रसूल सल्ल. को राइज किया और बिदअत व खुराफात का खात्मा किया। उनकी पूरी कोशिश यही रही की उनकी इबादात व मामलात किताब व सुन्नत के मुताबिक हों। आज अवाम के बहुत बड़े तबक़े ने इस तरीक़ा ए नबवी से अलग होकर अपने आपको मुख्तलिफ फिर्क़ों और जमाआतों में बाँट लिया है। इस इख्तिलाफ का नतीजा यह निकला कि नफ़स परस्त उलैमा को अच्छा मौका मिल गया कि

सीधे–साधे लोगों को अपने फ़रेब में गिरफ्तार करके उन्हें राहे हक़ से अलग हटा दें। उन्हें अकीदा ए तौहीद से दूर कर दें। आजकल मुस्लिम मुल्कों में यह देखा भी जा रहा है। जबकि बहुत से लोगों को उनकी हरकात व सकनात का बखूबी इल्म भी है। यही वह हक़ीक़त है जिसने इस्लाम दुश्मन ताक़तों को यह मौक़ा दिया कि वह इस्लाम के खिलाफ प्रोपैगन्डा करें। उन्हीं के हाथों में मुसलमानों के हालाल भी है। हक़ीकत यह है कि जब हमने राहे हिदायत छोड़ दी तो हम पर कई तरह की परेशानियां टूट पड़ी और जुल्म व जोर का तूफान उमड़ आया।

ऐ अल्लाह! तू हमें और हमारे तमाम मुसलमानों को अपने नबी मुहम्मद सल्ल. की हिदायत पर साबित रख ताकि जब हम होज़े कौसर पर हाज़िर हों तो तमाम बिदआत व खुराफात से पाक व साफ हो कर हाज़िर हों और हमसे वह काम ले जिसको तू पसन्द करता है। आमीन!

मुअल्लिफ़

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

इब्तिदाइया

किसी समझदासर शख्स से यह बात छिपी नहीं है कि आज पूरी दुनिया में मुसलमान दुश्मने इस्लाम के मक्र व फरेब और उनकी नापाक साजिषों में किस तरह घिरे हुए है। ऐसे माहौल में आज उम्मते इस्लामिया को ज़रूरत इस बात की है कि वह अपना मुहासिबा करके अपने दीने हनीफ को लाज़िम पकड़े। किताब व सुन्नत का दामन मजबूती से थाम लें और उन सब बातिल ख्यालात व नज़रियात को जड़ से उखाड़ फैंकें जो तौहीद की राह में रूकावट है? जिन्होंने अक़ीदे को बिगाड़ दिया है। उस हक़ से दूर कर दिया हैजिसके लिए उन्हें पैदा किया गया था ओर जिस पर चलने के लिए सभी अम्बिया भेजे गये थे। इर्शादे बारी तआला है– हमने जिन्नात व इन्सानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी इबादत करें।" (जारियात–आयत–56)

कुछ दुश्मने इस्लाम तो ज़ाहिर हैं ओर कुछ ऐसे हैं जो जुहद व वराअ का लबादा पहन कर सीधे साधे मुसलमानों को अपने फरेबी जाल में फांस लेते है। यह वह नई जमाअत है जिसका मक़सद यह है कि शिर्क व बिदअत और औहाम व खुराफात को रिवाज देकर इस्लाम के साफ़ सुथरे चश्में (झरने) को गन्दा कर दिया जाए।

इन हालात मे ज़रूरी हो जाता कि इस बातिल जमाअत का पर्दा फाश किया जाए और इस जमाअत के नापाक मन्सूबों को अवाम के सामने साफ–साफ बयान कर दिया जाए। जिसकी दअवत ब ज़ाहिर निहायत दिल को छूने वाली है मगर अन्दरूनी तौर पर ज़हरे कातिल है, शिर्क के गढ़े में धकेलने वाली है। इसलिए अपनी बात को हम अल्लाह के इस इर्शाद से शुरू करना चाहते है– "रसूल (सल्ल.) जो कुछ तुम्हे दें, उसे ले लो और जिससे वह तुम को रोकें उस से रूक जाओ और अल्लाह

से डरते रहो क्योंकि वह सख्त अजाब देने वाला है।" (हश्र–आयत–7) या उनका कोई शरीक है जिसने उनके लिए ऐसा दीन ईजाद किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया।" (शूरा–आयत–21) "फिर हमने तुम्हे दीन के एक रास्ते पर कर दिया है लिहाज़ा तुम उसी की पैरवी करो और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी मत करो जो नहीं जानते है।" (जासिया–'आयत–18)

अफसोस! आज उम्मते मुस्लिमा कई गिरोहों और जमाअतों में तक्सीम है। जिसकी वजह से एक दूसरे के खिलाफ दिलों में बुग्ज़, हसद और कीना व दुश्मनी रच बस गई है। अल्लाह के रसूल सल्ल. ने सच फरमाया था– "तुम में से जो ज़िन्दा रहेगा वह ज्यादा इख्तेलाफ देखेगा। ऐसी हालत में तुम लोग मेरी सुन्नत ओर खुलफा ए राशेदीन के तरीक़े को लाज़िम पकड़ो और उसे खूब मज़बूती से थाम लो और नई–नई बातों से बचते रहो इसलिए कि हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।" (अबु दाऊद– इब्ने माज–)

आप सल्ल. ने यह भी फरमाया कि "आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो दीन की आड़ में दुनिया का शिकार करेंगे। वो लोगों पर अपनी बुजुर्गी जाहिर करने और उन्हें मुतास्सिर करने के लिए भेड़ों की खाल का लिबास पहनेंगे। उनकी ज़बान शक्कर से भी ज्यादा मीठी होगी। मगर उनके सीनों में भेड़ियों जैसे दिल होंगे।" ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह तआला फरमाता है– "क्या यह लोग मेरे ढील देने से धोखा खा रहे हैं या मुझ से बेखोफ होकर मेरे मुकाबले में जुराअत कर रहे हैं। बस! मुझे अपनी कसम है कि मैं इन मक्कारों पर इन्ही में से ऐसा फित्ना खड़ा करूंगा जो उनके अक़्लमन्दों और समझदारों को भी हैरान बना के छोड़ेगा।" (तिर्मिजी–) इस हदीस के मिस्दाक इस ज़माने में बहुत से लोग नज़र आते हैं। उनका ज़ाहिर बहुत खूबसूरत है लेकिन उनका बातिन दाग़दार है। वो सलफ सालेहीन पर तअन करते है। दुनिया को दीन पर तरजीह देते हैं। बिदआत व खुराफात को आम करना उनकी पहचान है। अल्लाह तआला हम सबको सलामती अता करे।

आमीन!

इमाम अहमद बिन हम्बल रह. ने फरमाया था "तमाम तर तारीफ उस अल्लाह के लिए है जिसने हर ज़माने में रसूल पैदा किये ओर अहले इल्म पैदा किये जो गुमराहों को हिदायत की राह दिखाते हैं। उनकी पहुंचाई तक्लीफों पर सब्र करते हैं। अल्लाह की किताब की तालीमात लोगों को बताते हैं। अन्धों और गुमराहों को उसके नूर की रोशनी अता करते हैं। इब्लीस के मारे कई लोगों को उन्होने ज़िन्दगी बख्शी। कितने ही गुमराहों को रहनुमाई मिली। उनका असर लोगों पर बहुत अच्छा हुआ। वो लोग जाहिलों की तावील, हद से आगे बढ़ने वालों की तहरीफ और बातिल परस्तों की मिलावट से अल्लाह की किताब को पाक रखते है।

हम बहुत–बहुत अल्लाह का शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं कि उसने अपने फ़ज़लो करम से हर ज़माने में ऐसे–ऐसे उलैमा पैदा किए जो दीन के बचाव में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और लोगों तक पूरे दलाइल के साथ उनका हकीकी दीन पहुंचाते हैं। किताबों के ज़रिये हक़ की तब्लीग करते हैं। फिर भी बहुत से ऐसे हैं जो उन पर और उनके दीन व ईमान पर ताना ज़नी करते हैं, उन पर तरह–तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं और उनके मुकाबले में बातिल परस्तों की मदद करते हैं। हम अल्लाह तआला के ज़रिए हर किस्म की गुमराही से पनाह चाहते हैं। जो लोग आलमे इस्लामी के हालात पर नज़र रखते हैं वो बखूबी जानते हैं कि कुछ ऐसी तहरीकें व जमाअते वजूद में आ गई हैं जो बज़ाहिर इस्लाम व सुधार का दावा करती हैं लेकिन उनके अकाइद व नज़रियात जुदा हैं। यह सब जमाअते मुसलमानों के अकाइद को तबाह व बरबाद करने पर तुली हैं। इन्ही में से एक जमाअत वह है जो सूफिया के तौर तरीके पर लोगों से बैअत लेती है। अब इसके जाल में कुछ अरब हज़रात भी आ गये हैं। हत्ता कि बहुत सी औरतें बिदआत व खुराफात पर बैअत करने के लिए सफ़र भी करने लगी हैं। लगता है कि या तो उनका दिमाग़ खराब हो गया है या फिर उन्होने दीन को ज़ाया कर दिया है। जबकि इस्लाम में

सिर्फ सहाबा किराम की बैअत साबित है या मुसलमानों की जमाअत अपने इमाम से बैअत करती है।

हक़ीक़त यह है कि अहले इल्म के गुम हो जाने से बिदआत व गुमराही ने अपना अड्डा जमा लिया है। मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र व अहसान है कि बातिल (झूठ) का पर्दा चाक हो गया हैं और लोगों पर इस जमाअत की हक़ीक़त खुलने लगी है। अब इस जमाअत की हक़ीकत को जानने के लिए उस किताब की तरफ इशारा करता हूं कि जिसका नाम 'अल कौल अल बलीग़' है। इस किताब के लिखने वाले शैख हमूद बिन अब्दुल्लाह रह. हैं। यह किताब अपने मोजूअ में जामेअ है। आपने इस किताब के मुकदमें में लिखा है "यह जमाअत बिदअत व गुमराही की जमाअत है। यह उस दीन पर नहीं है जिस दीन पर आप सल्ल. और आपके सहाबा किराम रज़ि. और ताबईन रह. थे। बल्कि इनका दीन सूफियों का दीन और तरीका है। मैं उन लोंगों को जो शिर्क व बिदअत से अपने दीन की सलामती चाहते हैं यह नसीहत करता हूं कि तब्लीगी जमाअत में हर गिज़ शामिल न हो और न उनके साथ चिल्ले पर निकलें चाहे यह सफर अन्दरूनी मुल्क हो या मुल्क से बाहर।"

इसी तरह शैख सअद अपनी किताब "हक़ीक़तुल तौहीद इलाहि तआला वमा अखतसत बिही जज़ीर तुलअरब" में लिखते है "मैने इस जमाअत के साथ आठ साल गुज़ारे। इसके प्रोग्रामों मे शरीक रहा। इसकी ताईद करता और इस पर लगे इल्ज़ामात का बचाव करता। जब 1404 हिजरी में एक दिन एक शख्स मेरे पास आया जो इस जमाअत की हरकात व सकनात को मुझसे ज़्यादा जानता और समझता था। वह मुझ से पहले इस जमाअत मे रह चुका था। उसने अपनी बैअत का एतेराफ किया और जज़ीरे अरब के बहुत से मर्द व औरतों के बारे में बताया कि उन्होने नई दिल्ली में इस जमाअत के अमीर के हाथ पर सूफिया के चारों तरीकों पर बैअत की है। यह भी बताया कि इस जमाअत की किताब 'तब्लीग़ी निसाब' है, जिसका नया नाम 'फ़ज़ाईले आमाल' है इसमें गैर अरब (अजमीयों) के लिए तब्लीग़ का निसाब है। फिर इस किताब की

शिर्किया और बिदआत व खुराफात वाली इबारतें दिखाईं। इस हक़ीक़त के वाजेह हो जाने के बाद अल्लाह ने मेरी मदद की और मैंने (इस जमाअत से नाता तोड़ कर) हक़ को कुबूल कर लिया। फिर मैंने खुद कोशिश की कि इस जमाअत के ज़िम्मेदारान के सामने इस किताब की गल्तियां वाज़ेह करूं। इसलिए यह किताब 'तब्लीग़ी जमाअत की हक़ीक़त' वजूद में आई।

इस किताब का मुकदमा बड़े–बड़े जलीलुल कद्र उलैमा किराम ने लिखा है– जैसे सालेह बिन फोज़ान, सालेह बिन अब्दुल्लाह बिन अबूद, सालेह बिन सअद वग़ैरह।

शैख फोज़ान लिखते हैं– आज जिस माहौल मे हम ज़िन्दगी गुज़ार रहे हैं। दावत के नाम पर हमारे बीच बड़े ही अजीबो ग़रीब अफ़कार व नज़रियात पाये जाते हैं। जो अपने आपको मुख्तलिफ जमाअतों का नाम भी देते हैं। इन्ही में से एक है 'तब्लीग़ी जमाअत' । इनका मक़सद सिर्फ यह है कि तौहीद को खत्म करके अपना सिक्का जमा लें जैसे इससे पहले तौहीद के दुश्मनों का था। हर एक तौहीद को खत्म करना चाहता है सिर्फ तरीके अलग–अलग है। वरना यह जमाअत हक़ पर होती और अल्लाह की तरफ दावत देना इनका मक़सद होता तो अपना मुल्क छोड़कर इधर–उधर क्यों भटकते फिरते?जबकि उसका मुल्क खुद इस्लाह का ज्यादा मोहताज है। क्या यह अपने मुल्क से निकलकर मौहहिद मुल्क पर हमला नहीं कर रही है? क्या उसके इस्लाही तरीके कार को बिदअत व गुमराही से बदलना नहीं चाहती?क्या नौजवानों को फ़ित्ना व फसाद में मुब्तेला करना नहीं चाहती? उसने देखा कि यहां आपसी इत्तेहाद ज़बरदस्त है। रिआया और बादशाह में काफ़ी हम आहन्गी है। यह सऊदी अरब हक़ीक़त में इस्लामी मुल्क है। उसका अकीदा व मन्हज एक है। यहाँ शरीयत का निफाज़ होता है। हुदूद कायम होती हैं। भलाई का हुक्म दिया जाता है और बुराई से रोका जाता है। इसलिए उन्हें यह अच्छाईयाँ पसन्द नहीं आईं। जिस तरह दूसरे मुल्कों में अमन व अमान न के बराबर है। फ़ित्ना व फसाद का बाज़ार गर्म हं।

वही फित्ना व फ़साद यहां भी पैदा करना चाहती हैं। वरना यहां आने की ज़रूरत ही क्या थी?''

शेख़ सालेह अबूद कहते हैं–बेहतर है कि तब्लीग़ी जमाअत और अख़वान जमाअत को इंसाफ की तराज़ू में रखा जाए क्योंकि दोनों जमाअतें बाहर की पेदावार हैं। दअवत इल्ललाह का नाम लेकर जज़ीरा ए अरब में शामिल हुईं। जबकि उसका मुल्क खुद बिदअत व शिर्क में डूबा हुआ है। वहां इस्लाह की ज़्यादा ज़रूरत है। रहा हमारा सऊदी अरब तो अलहम्दुलिल्लाह यहां तौहीद पहले से कायम है। यह अमन का गहवारा है। यहां से नबवी दअवत दुसरे मुल्कों में होती रहती है। मेरी ख्वाहिश है कि यह जमाअत तअस्सुब, घमन्ड, गिरोह बन्दी, और हसद को छोड़कर अपने अन्दर खुलूस पैदा करे और सही तरीक़े से इस्लाह व सुधार का फ़रीज़ा अन्जाम दे।

शैख सालेह सहीमी कहते हैं– "तब्लीग़ी जमाअत सूफियों की जमाअत है। कभी यह नक्श बन्दी से, कभी चिश्ती, कभी कादरी, तो कभी सहरवर्दी से अपने आपको मुन्सलिक करती है। ये सूफियों के चार तरीक़े हैं। इन्ही तरीकों पर अपने पैरो कारों से बैअत लेती है। कुरआन व सुन्नत के नुसूस में तहरीफ करती है। खास तौर पर वह नुसूस जो जिहाद से तअल्लुक रखते हैं। यह लोग जिहाद वाली आयतों को जिहादुल्नफस पर चस्पा करते हैं। यह जमाअत इस्लामी उसूल से नावाक़िफ़ है। अकीदा ए तौहीद से नफ़रत करती है। इल्म और उलैमा से भागती है। काम धन्धे से लोगों को हटा देती हैं। दअवत इल्लललाह से ग़ाफ़िल कर देती है। हकीकत में यह जमाअत इस्लाम के मुबादयात (नये ईजाद कर्दा) से भी ग़ाफिल है। जिनका जानना एक दाई (दअवत देने वाला) के लिए बेहद ज़रूरी है।''

अल्लाह तआला से दुआ है कि वह हमारे उन मशाइख़ को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इस जमाअत की हक़ीक़त को वाज़ेह किया है। मेरी नसीहत है कि लोग इस जमाअत से परहैज़ करें और उनकी तरफ निस्बत भी न करें। इनके धोखों में हरगिज़ न आऐं। शैतान ने इन्हें

गुमराह कर दिया है और रसूल सल्ल. की साफ़ और खुली हिदायत से दूर कर दिया है। तब्लीग़ी जमाअत के पास उनके अपने बनाए हुए कुछ उसूल और कायदे हैं जिनके मुताबिक वह काम करती है। यह कायदे वही शख्स जान सकता है जो उनके करीब ज्यादा रहता हो। साथ ही गहराई से उनकी किताबों का मुतालेआ करता हो और उनकी अन्दरूनी बैठकों में भी शरीक होता हो। या उनके साथ गश्त के लिए निकलता हो। इस बिदअती गश्त का नाम इन्होने 'जिहाद फी सबीलिल्लाह' दे रखा है।" कुछ साल पहले फ्रांस में अरब तब्लीग़ी प्रोग्राम में मैंने शिरकत की तो देखा कि एक मुकर्रिर (वक्ता) बिना किसी मौज़ूअ के और बग़ैर किसी दलील के लम्बा बयान करता चला गया। मगर जिसे कुछ भी न मालूम हो वह दूसरों को क्या तालीम देगा? यह लोग दअवत के नाम पर दूर–दूर जाते हैं हालांकि उनके पास इतनी सलाहीयत नहीं होती कि वह दूसरों तक दीनी इल्म पहुंचा सकें। इनके जुब्बे व दस्तार से अच्छे खासे लोग धोखा खा जाते हैं तो अवाम कैसे बच पाएंगे?

आप सल्ल. का इरशाद है– "जो इस हाल में मरा कि वह अल्लाह के साथ किसी और को पुकारता था तो वह जहन्नम में दाखिल होगा।" (मुस्लिम–127–128) इस मुल्क (सऊदी अरब) में मेरी (इनके) एक दाई से मुलाकात हुई तो उसने कहा कि हमारी दावत ज़िक्र व फ़िक्र और गज़ व बसर पर कायम है तो मुझे फौरन अल्लाह का यह कहना याद आ गया "आप मोमीनों से यह कह दो कि वोह अपनी निगाहों को नीचे रखें ओर अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें।" (नूर–आयत–30) लेकिन यहां मामला इसके उलट था। वह आदमी अपनी बात जारी रखे हुए था ताकि वाज़ेह करें कि गज़बसर से उसका क्या मतलब है? फिर उसने बताया कि 'जब हम अपने भाई को किसी गुनाह में पाएें या वह अपने घर में किसी गुनाह में मुब्तीला हो तो पहले न हम उसकी पकड़ करें और न उसको झिड़कें बल्कि हम उसकी तारीफ करें ताकि वह और गुनाह करें।" अब मेरी समझ मे यह बात नहीं आ रही है कि दअवत व तब्लीग़ का यह तरीका कहां से लिया गया है? क्या ये लोग किताब

(कुरआन) के बअज़ हिस्से पर ईमान लाते हैं ओर बअज़ का इंकार कर देते है?ये लोग अहकाम "तब्लीग़ी निसाब" से अखज़ करते हैं और कुरआन व हदीस को छोड़ देते हैं। यह तो बड़ी अजीब बात है।

इस जमाअत ने बुराई से रोकने ओर खास तौर पर शिर्क की बुराई व नुकसानात बयान करने के फ़रीज़े को अदा न करने में बड़ी ढिटाई से काम लिया है। बल्कि यह उनकी दअवत का अहम हिस्सा बन गया है।

बेशक! वह तरीका जिसे अल्लाह ने अपने पैग़म्बरों और सारी मखलूक़ के लिए पसन्द किया है, वही तरीक़ा हर ज़माने और हर जगह के लायक़ है। कोई यह बहाना बनाकर इस रास्ते से हट नही सकता कि अब तो हालात बदल गये हैं। अल बत्ता यह लोग जिस राह व तरीके पर चल रहे हैं वह कुरआन व हदीस के साफ़ खिलाफ है, अलग है। क्यों की कुरआन व हदीस दोनों भलाई की तरफ बुलाने और बुराई से रोकने का हुक्म देते हैं। इरशादे बारी तआला है "तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगो के लिए पैदा की गई हैं। तुम लोग भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो।" (आले इमरान–आयत–110) और आप सल्ल. ने फरमाया "तुम में से जो शख्स किसी बुराई को देखे तो उस को चाहिये कि अपने हाथ से रोके, अगर इस की ताकत नहीं है तो ज़बान से और अगर इसकी भी ताकत नहीं है तो अपने दिल में बुरा जाने और यह सबसे कमज़ोर ईमान है। "(मुस्लिम–63 नसाई–5011–तिर्मिजी–2173) इन लोगों को 'शिर्क' जो सब बुराईयों में सब से बड़ी बुराई है उससे किसी को रोकते–टोकते कभी नहीं देखा। बस! ले देकर यही की नमाज़ पढ़ो–नमाज़ पढ़ो और वह भी हनफ़ी तरीके से न कि नबी सल्ल. के तरीके से। मजमुआ अल फतावा में अल्लामा इब्ने तीर्मिया रह. लिखते हैं "बहुत से वो आमाल जिनको लोग अल्लाह से कुरबत का ज़रीया समझते हैं हालांकि अल्लाह ने और उसके रसूल सल्ल. ने उनकी इजाज़त नहीं दी है। तो ऐसे आमाल का नुकसान उनके नफ़े से बहुत ज़्यादा है वरना अगर इसका फ़ायदा इसके नुकसान

से ज़्यादा होता तो शरीअत इस से ग़फलत नहीं बरती। क्योंकि आप सल्ल. हकीम थे। दीन की मसलेहत से ग़फलत नहीं बरत्ते और मुसलमानों को ऐसी चीज़ से न रोकते जो अल्लाह की कुरबत का ज़रिया बनती हो।" (मजमूआ अल फ़तवा–जिल्द 11 पेज–624) इस जमाअत की सारी पूंजी किताब "तब्लीग़ी निसाब" उर्फ़ "फ़ज़ाइले आमाल" है। इसमें शिर्क वह बिदअत भरा हुआ है और "हयातुस्सहाबा" अरबों के लिए है। इस किताब में ऐसे–ऐसे वाक़िआत हैं जिनका कोई सुबुत ही नहीं है। यह मुहम्मद युसुफ कान्धलवी साहब की तस्नीफ़ है। यह जनाब इस जमाअत के दूसरे अमीर गुज़रे हैं। इनके बाद इनआमुल्हसन साहब अमीर हुए। अलबत्ता तब्लीग़ी निसाब ज़करीया कान्धलवी साहब की तस्नीफ़ है। मैं इसी किताब से कुछ बातें कारेईन (पाठकों) के लिए नक़ल कर रहा हुं।

शैख़ सअद हसीन अपनी किताब "हक़ीक़त अल दअवत अल्लाह तआला" के पेज 82 पर लिखते हैं–

'तब्लीग़ी निसाब' तब्लीग़ी जमाअत की मन्हज के बारे में इकलौती किताब है। उस के चन्द नमुने देखिए–

(1) हज के बाद नबी सल्ल. की कब्र की ज़ियारत की ग़रज़ से मदीना का सफर करना जाइज़ है और इसकी दलील यह कि "जिसने हज किया और उसने मेरी ज़ियारत नहीं की तो उसने मुझ पर जुल्म किया।" (मुतरजिम–इब्ने हादी ने 'अल सारीम अल मनकी' में इस हदीस को मुन्कर कहा है। इस रिवायत की कोई असल नहीं हैं बल्कि यह मौजुअ (मन गढ़त) है। इनके अलावा दुसरे मुहदिदसीन ने भी इस को मौजुअ़ कहा हैं।)

(2) दुआ करते वक़्त अल्लाह के रसूल सल्ल. की क़ब्र की तरफ मुँह करके कहे "ऐ अल्लाह के रसूल सल्ल.! हम आप से शफ़ाअत तलब करते हैं। (3) नबी करीम सल्ल. ने अपना हाथ कब्र से निकाला ताकि शैख़ अहमद रफाई नव्वे (90) हज़ार मुसलमानों की मौजुदगी में आप के हाथ को चूमें। यह छटी सदी 555 हिजरी का वाकिआ है। (5) आप सल्ल.

के लिए दुरूद भी इन्होने ईजाद किया। जिसके न मअनी सही हैं और न अलफाज़। इनके गढ़े गये दुरूद की रू से जब आप सल्ल. ही हर मौजूद का सबब हैं तो फिर अल्लाह के लिए क्या बाकी रह गया। तब्लीग़ी निसाब (फ़ज़ाईले आमाल) मौजुअ़ और झूठी अहादीस, शिर्कया कलमात, खुराफ़ात व हिकायात, सूफियों के ख़्वाबों, उनके बुजुर्गो की कहानीयाँ वग़ैरह का मजमूआ है। यहा मैं सिर्फ तीन किस्से इस किताब से नक़ल कर रहा हुं। यही तीनों किस्से इस किताब पर हुक्म लगाने के लिए काफ़ी हैं।

1. तब्लीग़ी निसाब जिल्द 2 पेज 49 बाब फ़ज़ाइले हज में है– बेशक औलिया, अबदाल व अक़्ताब दुनिया के तमाम हिस्सों से हज में शरीक होते हैं। यह उनके फ़ुयुज़ व बरकात और अनवार व कमालात से फ़ायदा उठाने का बेहतरीन मौक़ा है।" मैं कहता हूं कि यह खुला शिर्क है। क्या अल्लाह को छोड़कर औलिया व अक़्ताब से फ़ुयुज़ व बरकात और नूर हासिल करते हो? हांलाकि अल्लाह फरमाता है– "आप कह दीजिए कि मैं अपने रब को पुकारता हूं ओर उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता हूं। आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारे लिए न तो किसी नुकसान का मालिक हूं और न ही किसी भलाई का। (जिन्न–आयत–21) और यह कि "जो अल्लाह के साथ शरीक करता है। गोया वह आसमान से गिर गया है। फिर चिड़ियां उसको उचक लेती हैं या हवा उसे किसी ओर जगह फेंक देती है।" (हज्ज–आयत–31) अल्लाह ने हज को फर्ज़ किया है ताकि ज़िक्र को बुलन्द किया जाए। सिर्फ उसी के आगे रोया जाए, गिड़गिड़ाया जाए और उसकी निशानियों की इज़्ज़त की जाए। इसलिए कि "जो शख़्स अल्लाह के शआयर की तारीफ करता है तो यह दिल के तक़्वे में से है।" (हज–आयत–32)

2. शैख अबु याक़ूब सनोसी कहते हैं कि "मेरे पास मेरा मुरीद आया और कहने लगा कि मैं कल जुहर के वक़्त मर जाऊंगा। जब दूसरा दिन आया तो मस्जिदे हराम में आकर ख़ाना ए काबा का तवाफ किया। फिर थोडी दूर जाकर मर

गया। मैंने उसे गुसल दिया और दफन भी किया। जब मैंने उसे क़ब्र में रखा तो उसने अपनी दोनो आँखें खोल दीं और कहने लगा कि मैं ज़िन्दा हूँ और अल्लाह का हर आशिक ज़िन्दा रहता है।" (फ़ज़ाइले आमाल)

3. शैख युसुफ इबने अली कहते हैं "एक हाशमी औरत मदीना में रहती थी। उसके कुछ खादिम उस पर जुल्म करते थे। तो उसने रसूल सल्ल. से शिकायत की तो आप सल्ल. ने रोज़ा ए मुबारका (कब्र शरीफ) से जवाब दिया। क्या तुम्हारे लिए मेरी ज़िन्दगी एक नमूना नहीं है?तुम सब्र करो जैसा कि मैंने किया था या इसी तरह कुछ कहा। उस औरत ने इस आवाज़ को सुनकर कहा—मेरा हर ग़म दूर हो गया और वो तीनों खादिम जो मुझ पर जुल्म करते थे वो मर गए।" (फ़ज़ाइले आमाल)

मैं कहता हूं कि इस किताब में यह कहानियां बातिल तसव्वुरात व ख्यालात हैं। इसमें लिखा है कि 555 हिजरी में रसूल सल्ल. ने अपना हाथ कब्र से बाहर निकाला ताकि अहमद रफ़ाई 90 हजार मुसलमानों की मौजूदगी में आपके हाथ का बोसा लें। इन हाज़रीन में शैख अब्दुल कादिर जीलानी रह..भी थे। (फ़ज़ाइले आमाल)

आप सल्ल. पर यह बहुत बड़ा इल्ज़ाम हैं। इसलिए कि आप सल्ल. ने जब अपनी पाकीज़ा ज़िन्दगी में अपने हाथ को बोसा लेने के लिए नहीं बढ़ाया तो मरने के बाद कब्र से कैसे बड़ासकते हैं? मेरे वाल्दैन आप सल्ल. पर कुर्बान हों। आप सल्ल. का इन्तेकाल हो चुका है और यह बात कतई है कि मौत दुनिया की ज़िन्दगी को खत्म करने वाली है। इर्शादे बारी तआला है "हर नफ़्स को मौत का मज़ा चखना है।" (आले इमरान—आयत—185) आइशा रजि. फरमाती हैं कि "आप सल्ल. का इन्तेक़ाल इस हाल में हुआ कि आप मेरे सीने से टेक लगाए हुए थे।(बुखारी—890, 1389, नसाई—1833 व तिर्मिजी—859) हज़रत अबु बकर रजि. ने इस मौक़े पर एक जामेअ खुत्बा भी दिया था कि "जो शख्स

मुहम्मद सल्ल. की इबादत करता था तो वह यह जान ले कि आप सल्ल. इन्तेक़ाल फरमा चुके हैं और जो अल्लाह की इबादत करता था तो अल्लाह ज़िन्दा है और वह कभी नहीं मरेगा। फिर यह आयत तिलावत फरमाई— मुहम्मद सल्ल. एक रसूल ही तो हैं। इनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। वस वह अगर मर जाएं या क़त्ल कर दिए जाएं तो क्या तुम अपनी पीठ के बल फिर जाओगे? और जो शख्स ऐसा करेगा तो वह अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अल्लाह अन्करीब शुक्र करने वालों को बेहतरीन बदला देगा।" (आले इमरान—आयत—144)

इस जमाअत से बचना वाजिब और ज़रूरी है। कयोंकि इसकी बुनियाद शिर्क, बिदअत व खुराफात पर है। इसके यहां कब्रों की ताज़ीम, मुर्दों की अज़मत, उनसे वास्ता लेना, मदद तलब करना वग़ैराह—वग़ैराह मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि अरब तब्लीग़ी जमाअत के पास फ़ासिद अकाइद नहीं हैं। लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं हैं बल्कि बहुत से लोग उनकी खुराफात में डुबे हुए हैं। उनके वअज़ व नसीहत में भी यह सब खुराफ़ात मौजूद हैं। उनकी दअवत, जिक्र व अज़कार सबका दारोमदार फ़ज़ाइले आमाल पर है। ये लोग दीन के बुनियादी उसूल को बिल्कुल नहीं छेड़ते जबकि यह बाहर भी सफ़र करते हैं। इस जमाअत के सालाना प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। बिदअती लोगों की मज़ालिस में हाज़िर रहते हैं। ये लोग अगरचे तौहीद को जानते हैं लेकिन उसकी तरफ दअवत नहीं देते और न ही शिर्क व बिदअत से मना करते हैं। बल्कि वह भी तब्लीग़ियों की रविश पर चलते हैं।

यह हक़ीक़त है कि बअज़ अरब तब्लीग़ी भी अपने तब्लीग़ी दौरों में बअज़ बिदआत को रिवाज देते हैं। जैसे इज्तेमाई ज़िक्र व अज़कार, हल्क़े की शक्ल में बैठ कर कुछ विर्द करके बड़े अच्छे अन्दाज़ में रोते हैं। खास तौर पर जब उनका अमीर कोई अजमी (ग़ैर अरब)होता है। फिर कुछ बयान करने के लिए किसी को आगे बड़ाते हैं। वह भी जाहिल होता है। अलबत्ता औलिया व अक़ताब के रूहानी फुयुज़ व बरकात से उसके

पास इल्म आता रहता है, यह उनका अक़ीदा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस तौहीद वाले मुल्क में भी इनकी तरफदारी करने लगे हैं। वोह दलील यह देते हैं कि यह जमाअत गुनहगारों से तौबा कराती है। उन पर अपना असर डालती है। लेकिन इस से क्या फायदा जब उन्हें बिदअत की तरफ ले जाएं और एक बुराई से फिर कर दुसरी बुराई में डाल दें। जबकि दूसरी बुराई पहली से ज्यादा खतरनाक व नुकसान देह है।

शैख़ मुहम्मद बिन सालह अल असीमीन ने कहा है "अगर यह लोग अपनी 6 बातों को जिसकी तरफ ये लोगों को बुलाते हैं, हदीसे जिब्रील से बदल लें तो यह बेहतर है क्योंकि उसमे पूरा दीन है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद हज़रत उमर रजि. ने बयान किया कि हम लोग अल्लाह के रसूल सल्ल. के पास बैठे हुए थे कि उस वक़्त एक शख्स आया। उसका लिबास बहुत सफैद था और बाल काफ़ी काले थे।............

अफसोस ! कि यह लोग इस हदीस को बयान ही नहीं करते हैं। हालांकि इसमें तौहीद और उसकी तमाम किस्मों की वज़ाहत है। शिर्क व उसके नुकसानात की जानकारी है। बल्कि देखा यह गया है कि रियाज़ की एक मस्जिद में तौहीद के मौज़ूअ पर बयान हो रहा था तो यह लोग वहां से निकल गये। ये मोहिदीन को बुरा कहते है। आप सोचिए कि ऐसे लोगों से क्या ख़ैर की उम्मीद की जा सकती है?अगर तौहीद की दअवत न हो तो फिर किस चीज़ की दअवत होगी।?

यकीनन तौहीद का इल्म सबसे बेहतर व अजीम इल्म है। इसलिए कि तौहीद अल्लाह की सिफ़ात व अस्मा (नामों) के जानने का नाम है। उसके अपने बन्दों पर जो हुक़ूक़ हैं, उनके जानने का नाम हैं इसलिए कि यही इस्लाम की असास व कुंजी है जिससे अल्लाह की तरफ रहनुमाई मिलती है।

शैख असीमीन फरमाते हैं कि जब तौहीद की यह शान है तो उसका जानना, सीखना और उस पर एतेक़ाद रखना हर मुसलमान पर

फर्ज़ हैं ताकि अपने दीन की बुनियाद खालिस तौहीद पर रख सकें। इसी से बेहतर नतीजे हासिल होंगे।

तब्लीग़ी जमाअत की बुनियाद मौलवी मोहम्मद इल्यास बिन मुहम्मद इस्माईल हनफी देवबन्दी चिश्ती कांधलवी ने 1344 हिजरी में रखी थी। देवबन्दी मदरसा देवबन्द की तरफ निस्बत है। यह भारत में अहनाफ का बहुत बड़ा मदरसा है। इसके जिम्मेदारान का यकीन है कि इसकी बुनियाद मौलवी क़ासिम साहब नानोतवी की मौजूदगी में 15 मुहर्रम 1283 हिजरी को जनाब मुहम्मद सल्ल. ने रखी है और कभी–कभी अपने खुलफा ए राशेदीन और असहाब के साथ इस मदरसे का हिसाब भी चैक करने के लिए आते हैं। नबी सल्ल. व आप सल्ल. के खुलफा पर यह बोहतान लगाना कि आप ने मदरसे देवबन्द की बुनियाद रखी है और उसका हिसाब व किताब देखने आते हैं। यह ऐसा ही बोहतान है जैसे हाज़िर नाज़िर का अकीदा रखने वाले लोग बयान करते हैं कि रसूल सल्ल. उनकी महफिले मीलाद में हाज़िर होते हैं और उनके गुनाहों को माफ करते हैं। जैसा कि एक कसीदे के शुरू मे है "हबीब (रसूल सल्ल.0) ने अपने असहाब के साथ हाज़िर होकर सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर दिया है। उन गुनाहों को जो गुज़र चुके है और जो अभी हो रहे हैं।

नबी सल्ल. किसी बिदअती मदरसे की बुनियाद नहीं रखते हैं ओर न ही सूफियों के मीलाद मे शरीक होते हैं। बल्कि आप सल्ल. कयामत तक आलमे बरज़ख में हैं और गुनाहों को अल्लाह के सिवा कोई माफ नहीं कर सकता। मगर लोगों ने दीन के नाम पर ऐसी ही बिदअतें गढ़ली हैं जिसकी वजह से मुसलमानों का अकीदा बट जाता है, बिगड़ जाता है और गुनाह करना मुबाह (आम) हो जाता है।

आप सल्ल. किसी के नफ़े या नुकसान के मालिक नही है। जैसा कि अल्लाह ने फरमाया "आप यह कह दीजिए की मैं कोई नया पैग़म्बर नहीं हूं और मुझे यह भी नहीं मालूम की मेरे साथ क्या होगा और तुम्हारे साथ क्या होगा? मैं तो उस वही की पैरवी करता हूं जो मेरी तरफ भेजी जाती है और मैं सिर्फ खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूं।"

(अहक़ाफ़—आयत—9) उम अला रजि. कहती हैं कि जब उसमान बिन मज़ऊन रजि. का इन्तेक़ाल हुआ तो मैंने कहा — ऐ अबु साइब! अल्लाह तुम पर रहम करे। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह तुम पर ज़रूर मेहरबान होगा। यह सुन कर आप सल्ल. ने फरमाया "तुम्हे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह इन पर मेहरबान होगा। इनके पास अल्लाह की तरफ से मौत आई है और मैं इनके लिए ख़ैर की उम्मीद करता हूं। अल्लाह की कसम! मुझे नहीं मालूम हालांकि में अल्लाह का रसूल हूँ कि मेरे साथ क्या हो?और तुम्हारे साथ क्या होगा? इस पर उम अला रजि. ने कहा— अल्लाह की कसम! मैं अब किसी को पाकीज़ा नहीं बताऊंगी।" (बुख़ारी—124 व 687) इसी तरह आप सल्ल. ने अपने चचा अब्बास रजि., अपनी फूफी सफिया और अपनी बेटी फातिमा रजि. को बुलाया और हर एक से कहा था कि तुम लोग अपने लिए दुनिया में मुझसे जो मांगना हो मांग लो। आख़िरत में मैं तुम्हारे कुछ काम नहीं आऊंगा।" (बुख़ारी) यह वह हक़ीक़त है जिस पर हमारा ईमान व यकीन है। लेकिन नफ़स परस्त और मफ़ाद परस्त हज़रात आम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं और उनमें शिर्क व बिदअत को आम करना चाहते हैं।

आप सल्ल. का इर्शाद है "जिसने मेरे खिलाफ़ जान बूझ कर झूठी बात कही तो वह अपना ठिकाना जहन्नम में बनाएगा।" (बुख़ारी 106 से 110 व मुस्लिम—जिल्द—1 पेज—27—28) लिहाज़ा वो लोग जो हक़ीक़त जानने के बावजूद उनकी दअवत से बअज़ नहीं आते तो वह इस सख्त वईद से महफ़ूज़ न रह सकेंगे। शैख मोहम्मद तकीलउद्दीन हिलाली रह. ने अपनी तालीफ़ "अल सिराजुल्मुनीर फ़ी तम्बही जमाअतुल तब्लीग़ अला अखतआहुम" में इनके इस बातिल तसव्वुरात पर बेहतरीन तअलीक (सवालिया निशान) लगाया है कि "रसूल सल्ल. ने उनके मदरसे का संगे बुनियाद रखा है" कहते हैं— "ऐ लोगो! पढ़ो और तअज्जुब करो कि अल्लाह के रसूल सल्ल. कैसे ऐसे मदरसे की बुनियाद रख सकते हैं जो आपकी सुन्नत से महाज़ आराई करता है। और आपकी रहनुमाई को छोड़ देता है। ये लोग अक़ाइद में मातुरीदी हैं। मज़हब

इनका हनफी है। मुखालेफ़त रसूल सल्ल. पर इसकी बुनियाद रखी गई है। दीन में फिर्का बन्दी को बढ़ावा देने के नज़रिये से इस मदरसे को कायम किया गया है। न तो आप सल्ल. इससे खुश होंगे और न ही आपके खुलफा ए राशेदीन और न ही इमाम अबु हनीफा रह.। कियोंकि उनका भी अक़ीदा वह न था जो इनका है। न वोह मातुरीदी थे, न तक़लीद के कायल थे और न ही फिर्का बन्दी को पसन्द करते थे। लेकिन जब इन्सान से शर्म निकल जाती है तो अब वह जो चाहे करे।"

आप रह. ने यह भी फरमाया "नबी सल्ल. हिसाब चैक करने के लिए क्यों हाज़िर हुऐ? क्या अल्लाह ने आप सल्ल. को इसीलिए भेजा था कि वह आप सल्ल. को इस मदरसे का हिसाब लेने वाला बनाऐ? भला बताओ इससे बढ़ कर आप सल्ल. के साथ गुस्ताख़ी और क्या हो सकती है?सच है कि जहालत, तक़लीद और तअस्सुब अपने मानने वालों को कहां से कहा डाल देता है। तब्लीग़ी जमाअत ने बहुत से इस्लामी मुल्कों पर हमला किया है और जहां भी लोगों के एतेकाद और यक़ीन में नरमी देखी वहीं अपना जाल बिछा दिया। कोई तब्लीग़ी सूफी कलमा ए तौहीद "ला इलाहा इल्ललललाह" की तशरीह इस तरह करता है कि यह कलमा अल्लाह की ज़ात के बारे में यकीने फासिद को निकाल कर यकिने सादिक दाखिल करता है। यानि सिर्फ अल्लाह ही ख़ालिक़, राज़िक औ मुदब्बिर है।" लेकिन यह तश्रीह सही नहीं है क्योंकि इससे सिर्फ तौहीदे ख़ूबियत ही साबित होती है और यह बात तय है कि सिर्फ तौहीदे ख़ूबियत का इक़रार इस्लाम में दाखिल होने के लिए काफ़ी नहीं है। (जब तक उसके साथ तौहीद उलूहियत, अस्मा व सिफ़ात पर न ईमान लाया जाए) लेकिन मज़कूरा मअनी हिन्दुस्तान में अहनाफ़ के बहुत बड़े इदारे मदरसा देवबन्द से सादर हुआ है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि "ला इलाहा इल्लल लाह" का सही मअनी "ला मअबूद बहक़ इल्ल्ल लाह" है यानि हक़ीकतमें इबादत के लायक़ सिर्फ अल्लाह ही है और "शहादत अन मुहम्मदुर्रसूललाह" का सही मतलब यह है कि "जिन चीज़ों (बातों) के करने का आप सल्ल. ने हुक्म दिया है उनको बजा लाया

जाए और जिन बातों की आप सल्ल. ने खबर दी है उनकी तस्दीक़ की जाए, उन्हें सच्चा माना जाए और जिन बातों या चीज़ों से आप सल्ल. ने रोका हैउनसे बचा जाए। उसी तरह अल्लाह की इबादत की जाए जिस तरह आप सल्ल. ने बतलाया है। अब आप ही बतलाऐं कि क्या तब्लीग़ी जमाअत ने अपनी दअवत व इबादत में इस मअनी की रिआयत की है? सचतो यह है कि उन्हें यह मफ़हूम ही पसन्द नहीं है। क्योंकि उनके मदरसे का मन्हज और उनके मशाइख़ का अकीदा इस मफहूम को बातिल और बेकार करार देता है। उनके मशाइख़ अपने पैरोकारों से सूफिया के चार तरीकों पर बैअत लेते हैं। चिश्तिया, कादरिया, नक्शबन्दिया और सहरवर्दिया। यही तरीके उनकी शरीयत हैं और बन्दे और रब के बीच वास्ता हैं (न आऊज़ों बिल्लाहि मिन ज़ालिक)

सूफियों के बहुत से तरीके हैं जो दुनिया के बहुत से हिस्सों में राइज हैं। फिर यह सूफिया हजरात एक ही तरीके पर क्यों मुत्तफ़िक़ नहीं हो जाते? अगर इनका मक़सद इस्लाम की खिदमत है और वह वह तरीका है जिसे इस्लाम लेकर आया हैं लेकिन यहां ऐसा नहीं है। क्योंकि हर शख्स का अपना–अपना मतलब है। जिसका तअल्लुक़ माल व दोलत से है और नज़र व नियाज़ भी है। सूफिया कहते हैं– जब अल्लाह किसी क़ौम पर ज़ालिम को मुसल्लत करता है तो उस वक़्त किसी के लिए जाइज़ नहीं है कि वह अल्लाह के इरादे का मुकाबला कर सकें। जब यह नजरिया है तो कोई अजब बात नहीं कि इस्तेअमारी ताकतें इन फिर्कों की मदद करें। उनके मशाइख को अपने करीब करें। उनका बचाव करें ओर उनके मसाइल को आसान करें।

फ़ज़ीलतुल शैख़ मुहम्मद हामिद जो मिस्र में "जमाअत अन्सार अल सुन्नता अल मुहम्मिदिया" के बानी हैं। फरमाते हैं "आज लोगों मे जो सूफियाना तरीके फैले हुए हैं। उनके ज़रिये ये कुफ़्र, शिर्क व बुत परस्ती और जल व फरेब का रिवाज देते हैं। उनकी सारी भागदौड़ दज्जालो की इबादत के लिए होती है। अवाम का खून चूस कर अपने मशाइख की जेबों को भरते हैं। लोगों में ज़मान ए जाहिलियत के अंधेरे

फैलाते हैं और अल्लाह और उसके रसूल सल्ल. से जंग करते हैं। उम्मते इस्लामिया को उस राह पर डाल देते हैं जहां ये दुश्मनों के लिए आसानी से लुक़्मा ए अजल (मौत का निवाला) बन सकें। यही वोह सूफियाना तौर तरीके और अन्दाज़ हैं जिनके ज़रिये यहूद और पारसियों ने इस्लाम के मज़बूत क़िले को ढाह दिया था। ये सूफियाना तरीके वो पलीद हाथ है जिसने इस्लामी मुल्कों को टुकड़ों–टुकड़ों में बांट दिया था। ये सूफिया ही हैं जिन्होने मराकिश, टयुनस, जज़ाइर, हिन्द, सूडान, मिस्र, ओर इस्लामी मुमालिक के हर इलाक़े मे इस्तेअमारी ताक़तों के लिए राहें हमवार में। ये लोग उनके मुखलिस एजेन्ट हैं। किसी ज़माने में मैं उन्ही का एक फ़र्द था। लेकिन जब उनका मक्र व फरेब वाज़ेह हो गया और मैं उनके नापाक इरादों को जान गया तो अल्लाह ने मुझे उससे निजात दी ओर मुझे उस इस्लाम की हिदायत फरमाई जिस इस्लाम को देकर अपने पैगम्बरों को भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह! मैं उनके मकर व फरेब और कुफ़्र को अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए मैं उनके खिलाफ बहुत ही सख्त हूं और जब तक जान में जान बाक़ी है उनसे लड़ता रहूंगा। नबी सल्ल. की इत्तेबाअ में उनसे लड़ते और उनके मक्र व फरेब पर सब्र करते हुए अल्लाह तआला से मदद मांगूगा। इस ईमान व यकीन के साथ कि अन्जाम मुत्तकियों के लिए है। ओर अल्लाह तआला मुत्तकियों (परहेज़गारों) के साथ है।"

तब्लीग़ी जमाअत या इसी तरह के गुमराह फिर्के इस्लामी मुल्कों मे अपने शिर्क व बिदआत को फैला रहे हैं। उनका यह अम्ल इन मुल्कों के अम्न व अमान को दरहम बर हम करने का ज़रिया है। जबकि इर्शादे बारी तआल है "जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को शिर्क (जुल्म) के साथ नहीं मिलाया तो उन्ही लोगों के लिए अम्न है और यही लोग हिदायत याफ़्ता हैं।" (अनआम–आयत–82)

शैख अब्दुर्रहमान बिन सअदी रह. इस आयत की तफ़सीर में फरमाते हैं "ख़ौफ व खतर व अज़ाब से अमन व अमान होना मुराद है। फिर अगर इन लोगों ने अपने ईमान को जुल्म से नहीं मिलाया है न शिर्क

से और न किसी बड़े गुनाह से तो इन्हें मुकम्मल अमन व हिदायत हासिल होगी। अगर इन्होने अपने ईमान को शिर्क से तो नहीं मिलाया लेकिन दूसरे बड़े गुनाहों में उलझे रहे तो उन्हें असल हिदायत और अमन तो मिल गया है लेकिन इनके कमाल को नहीं पहुंचे और अब इस आयत का मफहूम यह है कि जिन्हें यह दोनों अम्र हासिल नहीं हुए तो उन्हें न हिदायत मिली और न ही अमन। बल्कि उनके नसीब में गुमराही और बर्बादी है।'' (तफ्सीर इब्ने सअदी)

मुस्लिम मुल्कों में जितने भी गुमराह फिर्के पाए जाते हैं उनका मक़सद सिर्फ यही होता है कि वहां के लोगों के अकाइद में बिगाड़ पैदा करें। उनमे फूट डालें। उनके अन्दर फित्ना व फ़साद बरपा करें। आज आलमे इस्लाम में जो सूरते हाल है वह किसी से छुपी नहीं है क्योंकि इन्होने हर आने वाले पर यकीन कर लिया और गुमराही में चले गये। हालांकि पहले के लोग किसी आदमी के बारे में वही बात कहते थे जिसको वह जानते थे और बुराईयों से रोकते थे। इसी में दीनी मसलेहत थी और मुसलमानों की हिफ़ाज़त भी। जैसे जिरहव तअदील की किताबों में कहते हैं कि फलां शख्स ऐसा है और फलां ऐसा है। क्योंकि वह जानते है कि दीन भलाई और खेर ख्वाही का नाम है।''

कुछ लोगो ने इमाम अहमद इब्ने हम्बल रह. से कहा यह बात हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि फलां आदमी ऐसा है और फलां ऐसा। इस पर इमाम अहमद रह. ने फरमाया– "अगर तुम खामोश रहे और मैं भी खामोश रहूँ तो जाहिल कैसे जानेगा कि कौन सही है और कौन गलत।'' (मजमूआ अल फतावा–जिल्द–28 पेज–231) शैखुलइस्लाम इब्ने तिमिया रह. ने जिक्र किया है कि "इमाम अहमद इब्ने हम्बल रह. से कहा गया कि एक आदमी रोज़ा रखता है, नमाज़ पढ़ता है और एतेकाफ में भी बैठता है तो वह आपके नज़दीक ज्यादा बहतर है या वह शख्स जो बिदअती के बारे में ज़बान खोलता है, वह बेहतर है तो इमाम रह. ने फरमाया कि जिसने रोज़ा रखा, नमाज़ पढ़ी और एतेकाफ किया तो उसने ये अमाल अपने नफ़स के लिए किये और जिसने बिदअती के बारे

में ज़बान खोली तो गोया उसने मुसलमानों के लिए यह किया और थे ज्यादा अफ़ज़ल है। अगर अल्लाह तआला ऐसे लोगों को खड़ा ना करता तो दीन खराब हो जाता और दुश्मन के किसी मुल्क पर गल्बा पाने से जो फसाद पैदा होता है उससे दीन का फ़साद ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि दुश्मनों ने सिर्फ गल्बा (जीत) हासिल किया है लेकिन दिलों को नहीं बदला है और इन लोगों ने दिलों को बिगाड़ दिया है।'' (मजमूआ अल फतावा–जिल्द–28 पेज–231–32) सही बात यह है कि तब्लीग़ी जमाअत ने दीन व अक्ल में जबरदस्त बिगाड़ पैदा कर दिया है। वरना यह कैसे सोचा जा सकता है कि डाक्टर अपना दवाखाना बन्द कर दें, किसान अपनी खेती छोड़ दें, इमाम अपनी मस्जिद छोड़ दें, तालिबे इल्म मदरसा छोड़ दें, आदमी अपनी बीवी को छोड़ दे जबकि अभी वह नवें महीने में है। उसके पास कोई दूसरा शख्स भी नहीं है जो उसका ख्याल रख सके। बूढा अपनी औलाद को छोड़ दे ताकि वह भटकती फिरे लेकिन हकीकत में यही कुछ होता भी है। ये लोग दअवत के नाम पर ऐसे–ऐसे मुल्कों में जाते हैं जहाँ की ज़बान यह समझते भी नहीं और जो इनकी ज़बान को नहीं जानते। इनमे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ठीक से वुज़ू करना भी नहीं जानते। वाजिबात और अरकान में तमीज़ भी पैदा नहीं कर सकते। तो आप खुद अन्दाज़ा करें कि ऐसे लोगों की दअवत व तब्लीग़ का क्या हाल होगा? हक़ीक़त यह है कि लोगों को सही अकीदे और सही इबादत से फेर कर सिर्फ ज़ाहिद व सूफी बनाने की दअवत दी जाती है। तौहीदे खालिस के बजाए शिर्क, बिदअत और कब्र परस्ती वग़ैराह की दअवत दी जाती है। तब्लीग़ी जमाअत के एक फ़िदाई ने बताया कि मैं इनके साथ चिल्ले में निकला। हालांकि मैं मौहीद था फिर भी कुछ गलतियां हो जाया करती थीं। अभी कुछ ही दिन गुज़रे थे कि मैं कब्र परस्त हो गया। बाद में फिर अल्लाह तआला ने मुझे हिदायत दी।

जो लोग इस जमाअत को पसन्द करते है या अच्छा समझते हैं वो यह वाकेआ देखिऐ– इस वाकिए को शैख अहमद तोयजरी ने भी अपनी किताब में जिक्र किया है। तब्लीगी जमाअत के बारे में बअज

उलैमा ए किराम ने यह बयान किया है कि "एक दफा एक तालिबे इल्म इनके साथ मदीना से हिनाफिया गया। उस वक्त उनका अमीर तब्लीग़ी जमाअत का रईस (सदर) था। दर्मियानी रात में वह क्या देखता है कि एक साहब "हू हू हू" की रट लगाए हुए हैं। इसने उन्हें रोका तो वह अपनी हरकत छोड़कर खामोश हो गए। सुबह में अमीर साहब को इस वाकिए की खबर दी तो अमीर साहब उस तालिबे इल्म पर गुस्सा हुए और डांट कर कहा 'तू वहाबी हो गया है।' अल्लाह की कसम अगर मेरा बस चलता तो अल्लामा इब्ने तिमिया रह., इब्ने कय्यिम रह. और मुहम्मद बिन अब्दुल वहाब रह. की सारी किताबों को आग लगा देता ताकि ज़मीन पर उनकी कोई किताब बाकी नहीं रहे।" (नऊज़ो बिल्लाह)

मेरे भाई! अब आप इंसाफ से बताऐं कि क्या यह वाकिआ उनके बुग्ज़ व हसद, कीना व कपट और अदावत व दुश्मनी के लिए काफी नहीं है कि वो किताबें जो उम्मत की हिदायत का ज़रिया बनी हुई हैं उन्हें आग में जलाया जा रहा है। (नऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम)

इस जमाअत की हक़ीक़त जानने के लिए यह तरीक़ा अपनाना चाहिए कि जब वोह अपने चिल्ले में निकलने के लिए कहे तो उनसे शर्त लगाऐं कि तब्लीग़ में किताबुत्तौहीद, कश्फुल्शुब्हात और कवाइद अर्बआ जैसी किताबों का दर्स होगा। अगर वोह इसे कुबूल करलें (जो नामुमकिन है) तो बेहतर है वरना उनके साथ निकलना आपके ईमान व अकीदे के लिए खतरे से खाली नहीं है।

मेरे भाईयों! आपने तब्लीग़ी जमाअत के बारे में, उनके नज़रियात व अकाइद के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अगर और हक़ाइक़ का जिक्र करूंगा तो बात बहुत लम्बी हो जाएगी। अलबत्ता में इतना ज़रूर कहूंगा जो लोग इस जमाअत से वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं या इस जमाअत के मक्र व फ़रेब में आ गये हैं वह तअस्सुब की ऐनक उतार कर हक़ीक़त के आईने में इन्हें देखें और हक़ को अपनाने और वाज़ेह करने की कोशिश करें। क्योंकि हक सूरज की रोशनी से ज्यादा रोशन है। उनके हाथों में खिलौना न बने रहें। क्योंकि मोमिन अक्लमन्द होता है और

समझदारी से काम लेता हैं।

तब्लीग़ी जमाअत के बारे में उलैमा ए किराम का मौक़फ़

यह किताब जो आपके हाथों में है यह सिर्फ इसके मोअल्लिफ के नज़रिये को नहीं ज़ाहिर करती है बल्कि कई उलैमा ए किराम और मशायखे इज़ाम के सरीह अक़वाल और ठोस हक़ाइक़ पर एतेमाद करती है। ये वो उलैमा किराम हैं जो शरीअत में हमारी मुकम्मल रहनुमाई करते हैं। अल्लाह तआला इन मुहतरम हस्तियों को बहतरीन अज़्र से नवाज़े। आमीन!

फ़ज़ीलतुल शैख़ मुहम्मद बिन इब्राहीम आले. शैख़ रह.

मम्लुकते सऊदी अरब के साबिक़ (भूत पूर्व) मुफ़्ती ए आज़म शैख मोहम्मद बिन इब्राहीम आले शैख़ रह. अपने एक फतवे मैं तबलीगी जमाअत के बारे मैं कहते हैं कि "इस जमाअत में कोई ख़ैर नहीं है। यह बिदअत व गुमराही की जमाअत है। इनकी किताबों में शिर्क व बिदअत, गुमराही और कब्र परस्ती की दअवत है। यह वो काम और बातें हैं जिन पर खामोश रहना सही नहीं हैं। इन्शाअल्लाह इस (जमाअत) को ज़रूर रद करेगें। ताकि उनकी बिदअत व गुमराही का पर्दा चाक हो जाए और अल्लाह तआला से दुआ है कि वह अपने दीन इस्लाम की मदद फ़रमाए और अपनी बात (कलमे) को बुलन्द करें।" (29 मुहर्रम 1382 हिजरी)

शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ रह. की ख़िदमत में सवाल

1. मैं तब्लीग़ी जमाअतके साथ हिन्दुस्तान व पाकिस्तान की गश्त पर निकला। वहां मैंने देखा कि कई मस्जिदों में कब्रे हैं और उन मस्जिदों में नमाज़ पढ़ी जाती हैं। जबकि मैंने सुना हैं कि ज़िस मस्जिद में कब्र होती है उसमें नमाज़ पढना बातिल है, नहीं पढना चाहिए। तो अब मेरी उन

नमाज़ों के बारे में क्या हुक्म फ़रमाते हैं जो मैंने ऐसी मस्जिद में पढ़ी हैं क्या सब नमाज़ों को लौटाऊंगा। इन मकामात पर या इन लोगों के साथ निकलने का क्या हुक्म है? जवाब– बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम! अम्मा बअद! बेशक तब्लीगी जमाअत के पास अक़ीदे के मसाइल में कोई बसीरत नहीं है। लिहाज़ा उनके साथ निकलना जाइज़ नहीं हैं। अलबत्ता जिस शख़्स के पास इल्म व बसीरत हो और अक़ीदे के बारे में मुकम्मल मालुमात हो जिस अक़ीदे पर अहले सुन्नत वल जमाअत थे और इसलिए उनके साथ जाए ताकि उन्हें नसीहत करे व ख़ैर पर उनकी मदद करे। क्योंकि ये लोग अपने काम में पूरी लगन से लगे है लेकिन उन्हें ज़्यादा इल्म की ज़रूरत है और यह उलैमा का काम है जो तौहीद व सुन्नत के इल्म मैं माहिर हों। अल्लाह तआला सब को दीन की समझ और साबित क़दमी अता करे। अलबत्ता जिस मस्जिद में कब्र है उसमें नमाज़ पढ़ना सही नहीं हैं लिहाज़ा आप पर नमाज़ लौटाना वाजिब है। आप सल्ल. का इर्शाद है "अल्लाह तआला की लअनत हो यहुद व नसारा पर कि उन्होंने नबीयें की क़ब्रों को मसाजिद बना लिया।" और यह भी कि "ख़बरदार तुम से पहले के लोग अपने नबीयों और बुज़ुर्गों की क़ब्रों को मसाजिद बना लेते थे। ख़बरदार! तुम लोग क़ब्रों को मसाजिद न बनाना। मैं तुम्हें इस से मना करता हुं।" (मुस्लिम–857)

2. यह सवाल शैख़ इब्ने बाज़ रह. से 6 ज़िल्हज्जा 1416 हिजरी को मक्का में किया गया। या शैख़ मुहतरम! हम तब्लीगी जमाअत और उसके दअवती प्रोग्रामों के बारे में सुनते आ रहे हैं। कया आप मुझे इस जमाअत के साथ जुड़ने या उनके साथ निकलने के बारे में नसीहत करते हैं। अल्लाह आप को जज़ाए ख़ैर दे।

जवाब– जो शख्स भी अल्लाह की तरफ बुलाए। वह मुबल्लिग़ है। "बल्लिग़ु अन्नी वलौ आयह" (बुखारी–3461) तुम तब्लीग़ करो मेरी तरफ से चाहे एक आयत ही क्यों न हो। लेकिन हिन्दुस्तानी तब्लीगी जमाअत के पास बिदअत व खुराफात और शिर्किया उमूर हैं लिहाज़ा उनके साथ निकलना जाइज़ नहीं। हां अगर कोई ऐसा आदमी हो जिसके पास

इल्म हो वह उन्हें तालीम देने और शिर्क व बिदअत से उन्हें रोकने के लिए इनके साथ निकले तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन उनकी पैरवी करने की ग़र्ज़ से इनके साथ निकलता है तो वह नाजाइज़ है। इसलिए कि इस जमाअत के पास बहुत सी खुराफात और ग़लत बातें है, साथ ही इल्म की कमी भी है। हां अगर कोई कुरआन व सुन्नत का इल्म रखने वाला इनके साथ इनकी इस्लाह करने की नीयत से निकलता है ताकि लोग बातिल (झूठे) मज़हब को छोड़कर अहले सुन्नत वल जमाअत का मज़हब (रास्ता) इख्तियार करें तो कोई हरज नहीं है।

शैख मोहम्मद बिन सालेह अल असीमीन रह.

सवाल : मैं तब्लीग़ी जमाअत के साथ निकला। दौराने तब्लीग़ बअज़ औक़ात ज़िक्र के हल्क़े होते। उन हल्कों में तरतीब यह होती थी कि दो या तीन शख्स जमा होते फिर वो कुरआने करीम की आखिरी दस सूरतों का मज़ाकिरा करते। फिर तश्हुद, फिर नमाज़ इब्राहिमा। अब आप बताऐं कि इस तरीके से यह अमल करने का क्या हुक्म है?

जवाब– तमाम इबादात तोकीफ़ी हैं लिहाज़ा किसी इन्सान के लिए यह जाइज़ नहीं कि वह कोई नई इबादात ईजाद करे। उन इबादात के अलावा जिन्हें अल्लाह ने और उसके रसूल ने मशरूह क़रार दिया है। इसलिए कि अल्लाह तआला ने ऐसे लोगों का सख्ती से रद्द किया है। इर्शादे बारी तआला है– या इनके लिए कोई शरीक है? जिन्होने उनके लिए ऐसा दीन ईजाद किया है जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। अगर फैसले का हुक्म ना होता तो उनके बीच फैसला कर दिया गया होता।" (शूरा –आयत–31) इबादात अपने जिन्स, कदर, ज़मान, मकान और सबब में तौकीफ़ी है। लिहाज़ा ज़रूरी है इबादत शरीयत के मुआफ़िक़ हो, आप सल्ल. के बतलाए तरीक़े पर हो।

सवाल करने वाले ने अल्लाह के ज़िक्र और क़िराअते कुरआन की जो तरतीब बयान की है वो तौकीफ़ी की मोहताज है। अगर नबी सल्ल. से साबित है तो सर आंखों पर और अगर आप से साबित नही तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। इसलिए कि जो आप सल्ल. से साबित है वही हमारे लिए

काफी है और मुझे मालूम नहीं है कि आप सल्ल. से ज़िक्र व किराअते कुरआन की यह तरतीब साबित है। लिहाज़ा मैं अपने भाईयों को नसीहत करता हूं कि वो मशरूअ अमल पर तवज्जे दें। यही उनके लिए बेहतर है।

सवाल 2– आम तौर पर (तब्लीग़ी जमाअत के) ज़िक्र के हल्कों में सिर्फ 6 बातों पर बात होती है। ये इनके यहां 6 सिफात के नाम से मौसूम हैं। कलमा तय्यबा 'ला इलाहा इल्लल लाह' की तहकीक़ खुशुअ व खुजुअ के साथ, फिर ज़िक्र के साथ इल्म, इकरामे मुस्लिम, नियत का सही होना, दअवत इलल्लाह और खुरूज फी सबीलिल्लाह। सवाल यह है कि क्या ये उसूल काफी है? इन्हें किसी और की ज़रूरत नहीं। आखिर कमी और बुराई की क्या वजह है?

जवाब– इसमे कोई शक नहीं है कि बेहतरीन कलाम अल्लाह का कलाम है और बेहतरीन हिदायत अल्लाह के रसूल सल्ल. की हिदायत है और सबसे बेहतर व वाज़ेह अल्लाह का कलाम (कुरआन) और उसके रसूल सल्ल. की बात (हदीस) है और आप सल्ल. ने सारा का सारा दीन उम्मत तक पहुंचा दिया है।

हज़रत उमर रजि. का बयान है कि एक दिन हम आप सल्ल. के पास बैठे हुए थे कि हमारे पास एक आदमी आया। जिसका लिबास सफ़ैद था और बाल खूब काले थे। उस पर सफ़र के आसार भी नहीं थे। और हम में से उसे कोई पहचानता भी नहीं था। वह नबी सल्ल. के पास आपके दोनों घुटनों के पास अपने दोनों घुठनों को मिलाकर बैठ गया। ओर अपनी दोनों हथेलियों को आपकी दोनो रानों पर रख दिया। फिर कहने लगा– ऐ मुहम्मद! (सल्ल.) मुझे इस्लाम के बारे में बताइये। आप सल्ल. ने उससे अरकाने इस्लाम का जिक्र किया। फिर उसने ईमान के बारे में पूछा तो आप सल्ल. ने उसका भी बयान कर दिया। फिर उसने एहसान के बारे में सवाल किया तो आप सल्ल. ने उसका भी जिक्र कर दिया। फिर उसने कयामत के बारे में सवाल किया तो आप सल्ल. ने उसका जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम। फिर वह आदमी चला गया। अभी थोड़ी ही देर गुज़री थी कि आप सल्ल. ने कहा– ऐ उमर (रजि.)

तुम जानते हो कि यह सवाल करने वाला कौन था? मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल सल्ल. को ज्यादा इल्म है। आप सल्ल. ने फरमाया कि यह जिब्रील अलैहि. थे। वह तुम्हें तुम्हारा दीन सिखलाने आए थे। (बुखारी–50 व मुस्लिम–01)

अब आपने सवाल में जिन बातों का जिक्र किया है वो ठीक हैं लेकिन नाकिस हैं और नुक्स की वजह यह है कि आप सल्ल. जिस दीन को लेकर तशरीफ लाए थे, वह वही दीन है जिसका ज़िक्र हज़रत उमर रजि. की हदीस में अभी गुज़रा है। लिहाज़ा ऐसे भाईयों को मेरी नसीहत यह है जो अपने 6 उसूलों को बुनियाद बना कर चलते हैं। वो इन उसूलों को छोड़ दें और हदीसे जिब्रील पर पूरी तरह तवज्जोह देकर उसी पर अमल करें। क्योंकि यह दीन कामिल है। इसमे इस्लाम के पांचों अरकान व ईमान के 6 अरकान और फिर एहसान का जिक्र है। इस तरह उन्हें पूरा दीन मिल जायेगा

सवाल 3 – बअज़ लोग 'ला इलाहा इलललाह' की तफ्सीर इस तरह करते हैं कि दिल से फासिद यक़ीन को निकाल कर सही यकीन दाखिल करना। इस तरह का खालिक, राज़िक और मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह ही है? अगर यह तफ़सीर सही नहीं है तो सही तफ़सीर क्या है?

जवाब– यह तफ्सीर सही नहीं है। इसलिए कि इस तफ्सीर से सिर्फ तौहीदे रबूबियत साबित होती है। जबकि यह साबित है कि सिर्फ तौहीदे रबूबियत से इन्सान इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। अगर सिर्फ इसी एतेक़ाद से इस्लाम में दाखिला मिल जाता और उससे जान व माल महफ़ूज़ हो जाते तो मुश्रिकीने मक्का का खून हलाल नहीं होना चाहिए था। क्योंकि उनको पूरा यकीन था कि अकेला अल्लाह ही खालिक़ व राज़िक़ और तमाम कामों का मुदब्बिर है। इसके बावजूद वो मुसलमान नहीं मुश्रिक थे और नबी सल्ल. ने उनका खून व माल हलाल करार दिया था। उनके बच्चों और औरतों को कैद कर लिया था। उनकी ज़मीनों के वारिस बन गये थे। कलमे 'ला इलाहा इल्लल लाह' का सही मतलब यह है कि हकीक़त में क़ाबिले इबादत हस्ती सिर्फ अल्लाह की है

और उनके अलावा सारे मअबूद झूटे हैं।

इर्शादे बारी तआला है "ये इस वजह से कि अल्लाह ही हक़ है और इसके अलावा वो जिनको पुकारते हैं। वो सब बातिल (झूटे) हैं और बेशक अल्लाह तआला ही आला व कबीर है।" (लुकमान–आयत–30) मुसलमानों ने इस मआनी के अलावा कोई दूसरा मअनी इस कलमे का समझा ही नहीं है। इसलिए अल्लाह तआला ने मुश्रिकीने मक्का के बारे में फरमाया– बेशक! वो लोग कि जब उनसे कहा जाता था कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा मअबूद (पूजने योग्य) नहीं हैं तो वो घमण्ड करते थे और कहते थे– क्या हम पागल शायर की वजह से अपने मअबूदों को छोड़ दें।" (साफ्फात–आयत–35–36)इससे यह हक़ीक़त वाज़ेह हो गई कि मुश्रिकीने मक्का इस कलमे के मअनी को उन लोगों से ज्यादा अच्छी तरह समझते थे जिन लोगों नेइसका मअनी सिर्फ ईमान व यकीन तक सीमित कर दिया है कि अल्लाह अकेला ही खालिक़ व राज़िक है। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे मुसलमानों को अल्लाह से तौबा करनी चाहिए और इस तरह की ग़लत तफ्सीर बयान करने से बअज़ आना चाहिए। साथ ही सही तफ्सीर को मान भी लेना चाहिए जिस पर तमाम मुसलमान एक राय हैं जिसे मुश्रिकीनों ने भी सही समझ लिया था कि अल्लाह के अलावा कोई मअबूद नहीं है। लिहाज़ा सवाल करने वाले पर वाजिब है कि हक़ की तरफ़ रूजूअ करें और बताए कि तौहीद रबूबियत अलग चीज़ है और तौहीदे उलूहियत अलग चीज़ हैं लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरा नहीं हो सकते।

तौहीद रबूबियत पर अल्लाह का यह कलाम सादिक़ आता है– "बेशक! तुमहारा रब ही बहुत ज्यादा पैदा करने वाला, जानने वाला हैं।" (हिजर–आयत–15) और तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलम का रब है। (फातेहा–आयत–02) अब रही तौहीद उलूहियत तो उस पर अल्लाह का यह कौल दलील है "अल्लाह ने इस बात की गवाही दी कि उसके सिवा कोई मअबूद नहीं और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी। इस हाल में कि वह इंसाफ करने वाला है। नहीं है

कोई मअबूद मगर वही और वह ग़ालिब और हिक्मत वाला है।" (आले इमरान–आयत–18) पस! साहिल को चाहिए कि वह अल्लाह से तौबा करे और उसे यह भी जान लेना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। वह अकेला है उसका कोई शरीक नहीं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें और हमारे तमाम भाईयों को सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमाऐ जो नबियों, सिद्दीकीन, सालेहीन और शहीदों का रास्ता है और जिन पर उसका अज़ीम इनाम हुआ है।

सवाल 4– ऐसे क़िस्सो को रिवायत करने का क्या हुक्म है जिनको सुना है लेकिन उनके सही व गलत होने का इल्म नहीं है। इस तरह उन क़िस्सों को बयान करने का जिनके बारे में मालूम है कि ये झूटे है?

जवाब– कोई इन्सान चाहे किस्सा गो हो या वाइज़ या खतीब उसके लिए जाइज़ नहीं है कि वह किसी रिवायत की निस्बत अल्लाह के रसूल सल्ल. की तरफ करके बयान करे जब तक उसे उसकी सेहत का इल्म न हो और अगर उसे यह भी मालूम हो कि फलां हदीस ज़ईफ़ है तो उस ज़ईफ़ हदीस को बयान करना भी उसके लिए जाईज़ नहीं है। हां अगर ज़ईफ़ हदीस इसलिए बयान करें कि ताकि लोगों पर उसकी कमज़ोरी वाज़ेह हो जाए तो यह वाजिब है। इसी तरह बग़ैर सबूत के ऐसे वाकेआत बयान न करें कि जिसमें उसके ख्याल के मुताबिक करामात हों और न ही ऐसे क़िस्से बयान करें जिनके बारे में जानता है कि झूटे हैं क्योंकि यह लोगों को धोखा देने के बराबर है।

सवाल 5– इनके बयानात के बाद इज्तेमाई दुआ का क्या हुक्म है?इसी तरह गश्त मे जाने के लिए मस्जिद से निकलते वक़्त दुआ का क्या हुक्म है?

जवाब– इज्तेमाई दुआ चाहे नसीहत के बाद हो या मस्जिद से निकलते वक़्त हो या दअवत के गश्त में जाने के वक़्त हो, इसकी कोई हक़ीक़त नहीं है। बल्कि वह एक किस्म की बिदअत है। इसलिए मुनासिब है कि ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम करते हैं उन्हे समझाऐं कि यह शरई अमल नहीं है ताकि वो शरीअत के मुताबिक अमल करें।

सवाल 6– इनके मर्कज़ में जुमेरात के हफ्तावारी ऐतेकाफ को इस दलील से सही मानते हैं। वो कहते हैं कि हदीस में आया है "जिसने अल्लाह के घर में एक रात का ऐतेकाफ किया। अल्लाह तआला उसके और जहन्नम के बीच तीन ख़न्दक़ों की दूरी कर देगा और एक खन्दक से दूसरी खन्दक का फासला इतना है जितनी आसमान और ज़मीन की दूरी है?

जवाब– हर जुमेरात व जुमे की रात एतेक़ाफ में बैठना ऐसी बिदअत है जिसमें कोई शक व शुब्हा नहीं है। क्योंकि यह बात आप सल्ल. से साबित नहीं है कि आपने एतेकाफ़ के लिए जुमेरात के दिन को खास किया है। बल्कि आप सल्ल. सिर्फ रमज़ान के पहले दस दिनों में और फिर बीच के दस दिनों में लैलतुल क़द्र की तलाश में एतेकाफ़ में बैठते थे। जब आपको यह खबर हुई कि यह क़द्र वाली रात रमज़ान के आखिरी दस दिनों में है तो आप सल्ल. अपनी आख़िरी उम्र तक रमज़ान के आख़िरी दस दिनों में एतेकाफ़ करते थे। एक दफा आप सल्ल. से आखिरी दस दिनों का एतेकाफ छूट गया तो आपने कज़ा के तौर पर माहे शव्वाल में एतेकाफ किया था। और हज़रत उमर रजि. को इजाज़त दी थी कि वह मस्जिदे हराम में एक दिन के एतेकाफ़ की अपनी नज़र पूरी करें। अब रही वह रिवायत जिसे साइल ने जिक्र किया है तो मेरे अपने इल्म की हद तक वह हदीस सही नहीं है। (फ़तावा7–शैख मुहम्मद बिन सालेह अल असीमीन रह.)

मुहद्दिसे वक़्त अल्लामा मोहम्मद नासिरूद्दीन अलबानी रह. से इस जमाअत के बारे में सवाल किया गया।

सवाल– तब्लीग़ी जमाअत के बारे में आपकी क्या राय है?क्या तालिबे इल्म या किसी दूसरे शख्स के लिए जाइज़ है कि दअवत के नाम पर इस जमाअत के साथ गश्त पर निकले?

जवाब– तब्लीग़ी जमाअत अल्लाह की किताब (कुरआन) व अल्लाह के रसूल सल्ल. की सुन्नत (हदीस) के मन्हज (रास्ते) पर कायम नहीं है और न ही सलफ़ सालेहीन के मन्हज पर। लिहाज़ा इस जमाअत

के साथ गश्त या चिल्ले पर निकलना जाइज़ नहीं है। इसलिए भी कि यह जमाअत सलफ़ सालेहीन के मन्हज के ख़िलाफ़ है। यह बात मालूम होना चाहिए कि दअवत व तब्लीग़ के लिए आलिम निकलता है। अलबत्ता जो लोग उनके साथ निकलते हैं। पहले उनके लिए यह ज़रूरी है कि अपने मुल्क में रह कर दीनी इल्म सीखें ताकि उलैमा तैयार हो और फिर वोह दअवत का काम शुरू करे। जबकि उनकी हालत यह है कि इस जमाअत का मक़सद किताब व सुन्नत की तरफ़ दअवत देना नहीं बल्कि उनकी अपनी अलग दअवत हैं। अलबत्ता यह "जमाअत अल इख़वान" की तरह है क्योंकि यह लोग भी दावा करते हैं कि उनकी दावत किताब व सुन्नत पर कायम है। क्योंकिइस जमाअत के पास सिर्फ दावा है। हक़ीक़त में उनके पास अकीदा नहीं है बल्कि उनमें कोई मातुरीदी है, कोई अशअरी है, कोई सूफी है, और कोई ला मज़हब हैं। तकरीबन इस जमाअत पर आधी सदी का ज़माना गुज़र गया। अभी तक उनमें कोई ग़ैर मामूली आलिम पैदा नहीं हुआ। हां! तब्लीग़ी जमाअत की दावत सूफियों की दावत है। जो सिर्फ अखलाक़ की दावत देती है। अकीदे के इस्लाह की दावत नहीं देती। क्योंकि उनके ख़्याल में तौहीद की तरफ बुलाने में इख्तिलाफ पैदा होता है। (नऊज़ु बिल्लाह) बिरादरम शैख सअद हसीन और तब्लीग़ी जमाअत के रईस (अमीर) के बीच हिन्दुस्तान या पाकिस्तान में काफ़ी खत व किताबत हुई। जिनसे यही ज़ाहिर होता है कि यह जमाअत तसव्वुल, वसीला और ग़ैरूल्लाह से इस्तेग़ासा (फ़रियाद) वग़ैरह की कायल है और अपने लोगों से इस बात का मुतालबा करती है कि वो सूफिया के चार तरीकों पर बैअत करें। उन्ही तरीकों में नक्शबन्दिया भी है। लिहाज़ा हर तब्लीग़ी के लिए इस तरीके पर बैअत करना ज़रूरी है। कभी–कभी लोग सवाल करते हैं कि इस जमाअत की कोशिश की वजह से बहुत से लोग अल्लाह की तरफ लौट आते हैं बल्कि कभी तो ग़ैर मुस्लिम भी उनके हाथ पर ईमान ले आता है। क्या यह अमल उनके साथ निकलने के लिए काफी नहीं है।? हम कहते हैं कि इस तरह की बातें हम बहुत सुनते आए है। मसलन फलां जगह एक शैख़ हैं जिसका अकीदा फासिद (बुरा) है । वह कुछ भी

सुन्नते रसूल सल्ल. नहीं जानता है बल्कि हराम तरीके से उनका माल खूब खाता है। इसके बावजूद बहुत से गुनाहगार उसके हाथ पर तौबा करते हैं। इसलिए हर जमाअत जो भलाई की तरफ बुलाती है उसके कुछ पैरोकार ज़रूर होते हैं। लेकिन हमें तो यह देखना है कि उनकी दअवत क्या है? क्या किताब व सुन्नत और अकीदा ए सलफ़ की दअवत है?और क्या उनके अन्दर मज़हबी तआस्सुब तो नहीं है?

खुलासा ए कलाम यह कि तब्लीगी जमाअत के यहां कोई इल्मी मन्हज नहीं है। बल्कि उनका अपना खुद साख्ता मन्हज है। जहां वो रहते हैं और जहां जैसा चाहते हैं भेस बदल लेते हैं। (फ़तावा इमदादिया लिल अल बानी–जिल्द–38 पेज–731)

फ़ज़ीलतुल शैख अब्दुर्रज़ाक अफ़ीकी हिफ्ज़ुल्लाह

सवाल– तब्लीग़ी जमाअत के साथ निकलना कैसा है?

जवाब– हकीक़त यह है कि यह सब बिदअती हैं? तहरीफ़ करने वाले हैं। सूफी सिलसिले से जुड़े हैं। कोई क़ादरी है,क़ोई चिश्ती तो कोई नक्शबन्दी या सहरवर्दी। इनका निकलना अल्लाह की राह के लिए निकलना नहीं होता है। बल्कि लोगों के बनाए और बताए रास्ते के लिए होता है। ये लोग किताब व सुन्नत की तरफ़ दावत देने के बजाए अपने शैख़ इलयास की तरफ बुलाते हैं। हालांकि इस्लाम की तब्लीग़ के मक़सद से निकलना जिहाद फी सबिलिल्लाह यानि अल्लाह की राह में जिहाद है। लेकिन तब्लीग़ी जमाअत का निकलना ऐसा नहीं है। मैं इस जमाअत को बहुत पहले से जानता हूं। यह जमाअत जहां कहीं हो बिदअती है। चाहे सऊदी अरब में हो, मिस्र में या अमेरिका में या इस्राईल में। ये सब के सब इलयास (की तब्लीग़ जमाअत) से जुड़े हैं। (फ़तावा–शैख अब्दुर्रज़्ज़ाक़ अफ़ीकी–जिल्द–1 पेज–174)

शैख सालेह बिन फ़ोज़ान हिफ़ुज़ुल्लाह से सवाल

सवाल– दअवत के नाम पर मुल्क से बाहर जाने वालों के लिए आप क्या फरमाते हैं? हालांकि उनके पास कुछ भी इल्म नहीं होता है। वो अजीब व ग़रीब तरीका अपनाते हैं। वो यह दावा भी करते हैं कि जो दअवत के लिए अल्लाह की राह में निकलता है, अल्लाह उन पर इल्हाम करता है और वो यह भी दावा करते हैं कि इल्म हासिल करना बुनियादी शर्त नहीं है। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो शख्स मुल्क से बाहर निकलता है उसके सामने बहुत से मसाईल, मज़ाहिब, और मुखतलिफ़ किस्म के सवालात आते हैं। मेरे इस सवाल का अच्छी तरह जवाब दें ताकि लोगों को भी फायदा हो?

जवाब– अल्लाह की राह में निकलने का मतलब वह निकलना नहीं है जिसको आजकल लोग मुराद लेते हैं। बल्कि अल्लाह की राह में निकलने का मतलब जिहाद के लिए निकलना है। अलबत्ता इन तब्लीग़ियों का निकलना बिदअत है क्योंकि यह सलफ़ (पिछले लोगों) से साबित नहीं। दअवत के लिए निकलना किसी खास वक़्त या दिन में मुक़य्यद नहीं है। बल्कि इंसान के हालात और ताक़त पर मुन्हसर है। वह न किसी जमाअत से बंधा होता है न 40 दिन या उससे कम–ज़्यादा की कैद लगाता है। इसी तरह दाई (दावत देने वाले) के लिए आलिम होना भी ज़रूरी है इसलिए की जाहिल दअवत का काम अंजाम नहीं दे सकता। इर्शादे बारी तआला है– "आप कह दीजिए कि यह मेरा रास्ता है। मैं बसीरत की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ दअवत देता हूं।" यानि इल्म के साथ (युसुफ–आयत–108) इसलिए दाई के लिए हराम, हलाल, वाजिब, मुस्तहब व फर्ज वग़ैरह का जानना ज़रूरी है। इसी तरह शिर्क व कुफ्र और गुनाहों की राहों का जानना भी ज़रूरी है। ऐसा निकलना जो इल्म हासिल करने से ग़ाफ़िल कर दे वह बातिल है, बेकार है। क्योंकि इल्म का सीखना फर्ज है और इल्म सीखने से हासिल होता है इल्हाम (इल्हाम का मतलब दिल में बात डालना) से नहीं है। यह गुमराह सूफ़ियों की खुराफात हैं। क्योंकि बिना इल्म के अमल करना गुमराही है। (सलासा मुहाज़िरात फ़िल इल्म व दावत–शैख फौजान)

शैख फौज़ान हिफ़ज़ुल्लाह तब्लीग़ी जमाअत के बारे मे एक सवाल

का जवाब इस तरह देते हैं– अल्लाह के फ़ज़लो करम से हमारे इस प्यारे मुल्क को बाहर के किसी मन्हज़ की ज़रूरत नहीं है बल्कि अहले मुल्क पर वाजिब है कि वो अपने दीन पर मज़बूती से कायम रहें। तब्लीगी जमाअत के साथ जो लोग अपना वक़्त गुज़ार चुके हैं उन लोगों ने बहुत कुछ इस जमाअत के बारें में बताया है और कहा है कि यह एक गुमराह जमाअत है। इसके यहां बिदअत व खुराफात ज्यादा हैं इसका रास्ता आप सल्ल. के रास्ते के खिलाफ है। बल्कि यह सूफियों की दअवत है, बिदअती दअवत है। जब मामला ऐसा है तो इससे बचना और दूर रहना ज़रूरी है। खुसुसन सऊदी अरब में जहां अल्लाह के फ़ज़लो करम से सलफ़ी दअवत पहले से मौजूद है। जिसके अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। मुख़तलिफ़ किस्म के दीनी रिसालें व किताबें छप कर तक्सीम होती हैं। अलबत्ता इसके अलावा जो दअवत है जैसे शिर्क के अलावा दूसरे गुनाहों से बचना, तौहीद को छोड़कर ताअत को बजा लाना, शिर्क का इंकार न करना, कुछ फुरूई आमाल पर हमेशगी करना, जैसे एक खास तयशुदा वक़्त के लिए निकलना, इल्म से रोकना और उनके बदले में बअज़ अज़कार व औवराद और फ़ज़ाइले आमाल वग़ैराह का पढ़ना तो यह नाकिस (अधूरी) दअवत है। इससे भूखे की भूख ख़त्म नहीं हो सकती और न प्यासे की प्यास मिट सकती है।हां मुसलमान के लिए इस जमाअत के साथ जुड़ना जाइज़ नहीं है क्योंकि उनके साथ रहने में दीन में बसीरत (समझ) पैदा नहीं होती है। जबकि दीन नफा पहुंचाने वाले इल्म और आमाले सालेह पर कायम है।

इर्शादे बारी तआला है– वही वह ज़ात है जिसने अपने रसूल को हिदायत देकर भेजा ताकि उसको तमाम दीनों पर ग़ालिब करे। अगरचे मुश्रिक लोग इसे नापन्सद ही क्यों न करें।'' (सफ़–आयत–9) कोई भी अमल उस वक़्त तक सालेह नहीं होगा जब तक़ उसका सही इल्म न हो और इल्म उस वक़्त तक फ़ायेदा नहीं देगा जब तक उस पर अमल न हो। इसका नतीजा यह निकला कि जो दअवत किताब व सुन्नत के मन्हज पर न हो या नबी सल्ल. के तरीक़े के खिलाफ हो वह अधूरी है

बल्कि बातिल है। नाम उस दावत का चाहे जो भी हो क्योंकि एतेबार हक़ीक़त का है सिर्फ नाम का नहीं और न ही अक्सरियत का है। बल्कि हक़ व बातिल का मेअयार किताब व सुन्नत है।

इर्शादे बारी है ''पस! अगर किसी मामले में इख्तिलाफ हो जाए तो उसको अल्लाह के और उसके रसूल सल्ल की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह पर और आखेरत पर ईमान रखते हो। यही बहतरीन तरीका है।'' (निसा–आयत–59) लिहाजा जिसका मक़सद हक़ परस्ती है कुरआन व हदीस की तरफ लौटने से उसके सारे इख्तिलाफ खत्म हो जाते हैं लेकिन किताब व सुन्नत की तरफ नहीं पलटे तो इख्तिलाफात बढ़ते जाऐंगे और इन्तेशार पैदा होगा।

अल्लाह तआला हम सब को हक़ पर साबित क़दम रखे। आमीन।

सालेह फोज़ान
13 जमादुल्अव्वल 1417 हिजरी

फ़ज़ीलतुल शैख अब्दुल क़ादिर अरनाअुत

आपने तब्लीगी जमाअत के बारे में किये गये सवाल का जवाब देते हुए फरमाया– मैं अल्लाह का फ़कीर बन्दा अब्दुल क़ादिर अरनाउत हूं। मुझसे कुछ तालिबे इल्मों ने तब्लीगी जमाअत के बारे में सवाल किया। जो हिन्दुस्तान की पैदावार हैं इसके बानी मौलवी मोहम्मद इलयास बिन मोहम्मद इस्माईल कान्धलवी हैं जो 1363 हिजरी में फौत हुए। यही इस जमाअत के पहले अमीर भी है। इन्होने कुरआने मजीद हिफ्ज़ किया और देवबन्दी तरीके पर कुतुब सित्ता (सहा सित्ता) को पढ़ा। सूफी तरीके पर बैअत ली और लोगों को इस्लामी अखलाक की दअवत दी। इनकी वफात के बाद इनके बेटे मोहम्मद युसुफ कान्धलवी इस जमाअत के अमीर बनें। उन्होने हयातुस्सहाबा के नाम से एक किताब लिखी। इस जमाअत के तीसरे अमीर मौलवी इनामुल्हसन बने। हर शहर में इनका एक अमीर होता है। जो असली अमीर के ताबेअ होता हैं इनके पास नक़शबन्दिया, कादरिया जैसे सूफियाना तरीके हैं। इस जमाअत का मकसद इस्लाहे नफ़स हैं दूसरों को अखलाक और इस्लाहे नफ्स की दअवत देती हैं। लेकिन इस जमाअत के पास अकीदा ए तौहीद का एहतेमाम बिल्कुल नहीं हैं। जबकि अकीदा तौहीद ही दअवत की असास व बुनियाद है।

इर्शादे बारी तआला है "पस! जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं।" (मुहम्मद–आयत–19) आप सल्ल. ने सबसे पहले तौहीद ही की दअवत दी थीं । रहा जिहाद तो उसका मफ़हूम इस जमाअत के नज़दीक जिहाद बिल नफस यानि अपने नफस से जिहाद करना है और ज़बानी दअवत यह है कि इस जमाअत के साथ चिल्लों में निकला जाए। इनका मन्हज सूरह फातेहा के साथ कुरआन की चन्द सूरते पढ़ना, रियाजुस्साले हीन पढ़ना, हयातुस्सहाबा, फ़ज़ाइले आमाल और दीगर अखलाकी किताबे पढ़ना है। इस जमाअत के 6 उसूल है–

1. कलमा तय्यबा की तलकीन – इसका मअनी उनके यहां यह है

कि दिल से फ़ासिद यकीन को निकाल कर सही यकीन हासिल करना, सूफियाना तरीके पर।

2. खुशुअ व खुज़ूअ से नमाज़ पढ़ना।
3. जिक्र के साथ फ़ज़ाइल का इल्म।
4. मुसलमान का इकराम।
5. नीयत का सही होना।
6. अल्लाह की तरफ दअवत और अल्लाह के रास्ते में निकलना इस जमाअत के तरीके पर।

लेकिन यह काफी नहीं है कि हर मुसलमान पर तौहीद की इस्लाह और उसकी मदद वाजिब व फर्ज़ है। क्योंकि बहुत से इस्लामी मुल्कों में शिर्क ब कसरत मौजूद है लिहाज़ा उनको तन्बीह करना ज़रूरी है। ताकि वोह अपनी इबादत अल्लाह के लिए खालिस कर सकें। इर्शादे बारी तआला है "आप कह दीजिए की यही मेरा रास्ता है और में बसीरत की बुनियाद पर अल्लाह की तरफ बुलाता हूं। मैं और वो शख्स जिसने मेरी पैरवी की। अल्लाह की ज़ात पाक है और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ।" (युसुफ–आयत–108) अल्लाह के रसूल सल्ल. 13 सालों तक मक्का में सिर्फ अक़ीदा तौहीद की दअवत देते रहे। लिहाज़ा सलफ सालेह के मन्हज के मुताबिक लोगों को किताबों–सुन्नत की दअवत देना ज़रूरी है। आज कितनी जमाअते ऐसी है जो किताबो–सुन्नत का दावा करती है लेकिन सही मन्हज की मुखालिफत करती है। जिस पर रसूल सल्ल. और सहाबा किराम कायम थे।

तब्लीगी जमाअत सूफी नकशबन्दी, सहरवर्दी, कादरी और चिश्ती की जमाअत है। इसके अकीदे में मिलावट है। सुन्नत व बिदअत में मिलावट है। शरई नुसुस की तफ्सीर सलफ़ सलफ़ सालेहीन के मन्हज के बजाए अपने खुद साख्ता मन्हज के मुताबिक करती है। जिहाद की तफ्सीर नफ्स से जिहाद की करती है। लोगों को तब्लीगी जमाअत के साथ निकलने की दावत देती है। अकीदे के मौजूअ पर उनके यहां बात नहीं होती।

मुसलमानों पर वाजिब है कि वोह ऐसे मन्हज की तरफ रूजूअ करें जो कुरआन व हदीस से साबित हो और जिस पर सलफ़ सालेहीन चलें हो ओर यह तभी मुमकिन होगा। जब हम अपनी दअवत की शुरूआत वहां से करेंगे जहां से अल्लाह ने और उसके रसूल सल्ल. ने की है। और वह तौहीद की दअवत है। इस तौहीद को पहले हर किस्म के शिर्क व बिदअत से पाक करें। शिर्क व बिदअत से दूर रहें। दरगाहों, मकबरों ओर हर वह जगह जो अल्लाह की खालिस इबादत से फेर दें, उससे बचें।

तब्लीगी जमाअत जो यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका वगैराह जिन मुल्कों का भी दौरा करती है तो वहां सिर्फ अख़लाक़ की दअवत देती है। अकीदा ए तौहीद का इनके पास ज़रा भी अहतेमाम नहीं है। और यह बड़ी भयानक गलती है। इनके लिए ज़रूरी है कि अपनी दअवत की शुरूआत तौहीद से करें। पहले अकीदे की किताब पढ़ें। जैसे इब्ने क़तादा मुकद्दसी की किताब "लम्अतुल्बि अतिक़ादिल आदियि इला सबीर्रशाद" और अल्लामा तहावी की "अकीदा अहले सुन्नत वल जमाअत" ताकि सही अकीदे का इल्म हो।

शैख मुहतरम ने फरमाया– "तब्लीगी जमाअत के जितने भी दाई बाहर काम करते है उनका इल्म सही नहीं होता है। लिहाज़ा अक्सर मुसलमान अल्लाह से कुरबत, बिदअत व खुराफ़ात के रास्ते से हासिल करते है। इसलिए इस जमाअत के दाईयों पर कुरआन व हदीस से हासिल अक़ीदा ए तौहीद का इल्म हासिल करना पहले ज़रूरी है।

इनके साथ निकलना गोया इनके मसलक व मशरब की ताईद करना है। इसलिए इनके साथ (गंश्त या चिल्ले के लिए) निकलना में जांइज़ करार नहीं देता। हां अगर कोई साहिबे इल्म इन्हें तालीम देने की गरज़ से निकलता है तो कोई हरज़ नहीं है। अगर वह कुबूल करें तो ठीक है और कुबूल न करें तो उनके साथ निकलना ठीक नहीं है। हर एक पर इन लोगों को नसीहत करना ज़रूरी है। वो जहां भी जाए और जहां भी रहे।

हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि वह हमें अकीदा ए तौहीद पर

साबित कदम रखें और इस्लाम पर हमारी मौत हो और नबियों, सिद्दीको और शहीदों के साथ हमारा हश्र हो। आमीन!

अब्दुल
कादिर अरनाउत
8 मुहर्रम
1417 हिजरी

पैग़ाम फ़ज़ीलतुल शैख सअद अल हसीन का

शैख अहमद अल हसीन जो जोर्डन (उर्दुन) में सऊदी एम्बेसी में दीनी सलाहकार की हैसियत से फ़रीज़ा अंजाम दे रहे थे। कतर के कुछ नौजवानों ने तब्लीगी जमाअत के बारे में आप से कुछ सवालात किये थे। उनके जवाब में आप ने जो कुछ कहा वह पैशे खिदमत है–

1. आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि दावत इलल्लाह एक इबादत है और वही काम इबादत कहे जाने का हक़ रखेगा जो अल्लाह की शरीअत के मुताबिक हो।

2. तब्लीगी जमाअत (जिसके साथ में आठ साल रह चुका हूं) का मन्हज किताब व सुन्नत के हरगिज़ मुआफिक नहीं है। उनके यहां (चिल्ले) में निकलने की तरतीब तीन दिन, चालीस दिन और चार महिना है। उनके खिताब व बयान का मौजूअ भी अजीब व गरीब हैं वो इस तरह है–पहले 6 बातों सिफात के बारें में गुफ्तगू होगी। फिर हर फज्र की नमाज़ के बाद आखिरी दस सूरतें पढ़ेगे और ज़ुहर की नमाज़ के बाद जमाअत का तआरूफ होगा। नमाज़े इशा के बाद युसुफ कांधलवी साहब की तालीफ "हयातुस्सहाबा" किताब का दर्स होगा। फिर इसके बाद जमाअत का बंटवारा होगा। कोई जिक्र व अज़कार में मसरूफ होगा और कोई (इमाम नौवी रह.) की रियाजुस्सालेहीन पढ़ रहा होगा। कोई गश्त की बातों में लगा होगा। गश्त में इनकी बातें बहुत महदूद होती है। मगर ये तमाम काम ऐसे हैं जिनका शरीअत में कोई सबूत नहीं है और न ही सलफ़ सालेहीन से यह तरीका ए कार साबित है। क्योंकि अल्लाह तआला ने हज़रत नूह अलैहि. से लेकर आप सल्ल. तक तमाम अम्बियां को जिन बातों का हुक्म दिया था उन्हीं बातों की यह जमाअत मुखालिफत करती है।

अल्लाह तआला का इर्शाद है–यकीनन हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा। ताकि तुम लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करों और तागूत से बचों।" (नहल–आयत–36) हमने तुम से पहले जो भी रसूल भेजा

उसकी तरफ यही वहय की कि नही है कोई मअबूद मगर मैं। पस! तुम लोग मेरी ही इबादत करो।" (अम्बिया–आयत–25) हर नबी व रसूल की दअवत यही थी कि सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत करो। लेकिन तब्लीगी जमाअत के नज़दीक दूसरी इस्लामी जमाअतों की तरह तौहीद को पहला मकाम हासिल नहीं है। न तो यह जमाअत तौहीद जानती है और न ही कलमा तय्यबा का सही मअनी ही समझती है। बल्कि इस अज़ीम कलमे का यह मअनी करती है कि दिल से यकीने फासिद को निकाल कर सही यकीन दाखिल करना। इस तरह कि अल्लाह तआला खालिक, राज़िक, ज़िन्दा, करने वाला और मारने वाला हैं। अगर यही इस कलमे का सही मअनी होता तो मक्का के कुरेश भी इस मअनी का इक़रार करते थे। इसके बावजूद वोह मोमिन नहीं थे। बल्कि काफिर और मुश्रिक थे। जेसा कि अल्लाह का कलाम हमें बतात है– "अगर तुम इनसे सवाल करों कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है? तो वो ज़रूर कहेंगे कि अज़ीज़ों अलीम (अल्लाह) ने पैदा किया है।" (ज़ुखरूफ–आयत–9)

3. चूकि तब्लीगी जमाअत का मन्हज अल्लाह की शरीअत और रसूल सल्ल. की सुन्नत से हट कर है। इसलिए यह जमाअत अपने इलाक निजामुद्दीन दिल्ली में अपने पड़ौसियों के अकीदे की इस्लाह की कोई कोशिश नहीं कर सकी। जहां तकरीबन 60–70 साल से मर्कज़ कायम है। हत्ता कि अपने पैरोकारोंबल्कि अपने मशायखों के अकीदे को भी सही नहीं कर सकी। उनके हर बयान से अकीदे का फसाद ज़ाहिर होता है। क्योंकि उनके सारे बयानों का दारोमदार मन गढ़त किस्से कहानियां और मुख्तलिफ किस्म की खुराफात हैं। किताबों सुन्नत से साबित मसअला या कोई बात हरगिज़ नहीं है। उनके अकीदे के बिगाड़ का खुला सबूत यह है कि उनके सबसे बड़े मर्कज़ निजामुद्दीन में जो उनकी मर्कज़ी मस्जिद है उसमें कब्रे मौजूद हैं। इसी तरह रायवन्ड पाकिस्तान में जो उनकी मर्कज़ है वहां की मस्जिद में भी कब्रे हैं और सूडान में भी उनकी मर्कज़ी मस्जिद में कब्रे मौजूद है।

4. नई इस्लामी जमाअत का बनाना ही गोया मुसलमानों की जमाअत से निकलना है। क्योंकि कोई जमाअत अपने मन्हज, अमीर के नाम और उसके मर्कज़ की वजह से पहचानी जाती हैं और इस तरह से जमाअतें मुसलमानों की एकता को तार–तार कर देती है। जैसे कि पहले के लोग मुख्तलिफ गिरोहो और जमाअतों में बट गये थे। ओर उ़स पर तुर्रा यह कि "हर जमाअत अपने किरदार के साथ खुश है।" (रूम–आयत–32) जबकि अल्लाह तआला ने फरमाया– "बेशक! जिन्होने अपने दीन को बांट लिया है और वह जमाअत दर जमाअत हो गये है। तू उनमे से नहीं है।" (अनआम–आयत–159)

5. आप लोगों का यह कहना कि इस जमाअत के मानने वाले बहुत ज्यादा है, यह इसके सही होने की दलील है। लेकिन यह फैसला गलत है, क्योंकि किसी जमाअत की अक्सरियत उसके सही होने की दलील नहीं होती। बल्कि वाकिआत साबित करते हैं कि अक्सरियत हमेशा गुमराह रही है। इर्शादे बारी तआला है– "अगर तू ज़मीन में अक्सरियत की बात मानेगा तो वे तुझे अल्लाह के रास्ते से गुमराह कर देंगे।" (अनआम–आयत–116) और "मेरे शुक्रगुज़ार बन्दे बहुत थोड़े है।" (सबा–आयत–13) और "उनमे से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते बल्कि वो लोग मुश्रिक हैं।" (युसुफ–आयत–106) इससे मालूम हुआ कि ज्यादा तादाद कभी हक़ की दलील नहीं बन सकती। क़यामत के दिन कोई नबी आएगा कि उसके साथ सिर्फ एक या दो लोग होंगे। तो कोई नबी ऐसा भी आएगा की उसके साथ कोई नहीं होगा। हज़रत नूह अलैहि. जैसे बड़े रसूल की करीब 950 (नौ सो पचास) साल की तब्लीग के नतीजे में सिर्फ कुछ लोग ईमान लाए थे।

6. किसी भी तहरीक का अपनी तहरीक की तरक्की के लिए ज्यादा जोश दिखाना या ज्यादा हरकत दिखाना उसके मन्हज के सही होने की दलील नहीं होती। क्योंकि मुशाहेदे से यह बात साबित है कि बातिल हक़ के मुकाबलें में ज्यादा सरगर्म रहता है क्योंकि नफ़्से अम्मारा और शैतान दोनों बातिल को बहुत खूबसूरत अन्दाज़ में पेश करता है और ये दोनों लोगों को हक़ से रोकने में एक बड़ा रोल अदा करते है इल्ला यह कि

जिस पर अल्लाह का फ़जलो करम हो जाए। आप सल्ल. ने सच फरमाया था "यह उम्मत अन्करीब 73 फिर्को में बंट जाएगी। सारे के सारे जहन्नमी होंगे मगर एक फिर्क़ा और वही जमाअत होगी जो बराबर हक़ पर कायम रहेगी। लोगों की मुखालिफत उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और न ही लोगों का उन्हे छोड़ देना उन्हें नुकसान पहुंचायेगा। अगरचे वोह लोग तादाद में कितने ही ज्यादा क्यों न हों।" (अबुदाउद–4519–20 व इब्ने माजा–3992 व बुखारी–3640–41 व मुस्लिम–5249 ये 5253)

7. रही यह बात कि कुछ लोगों को हिदायत पहुंचाने में उन्हें कुछ फ़ज़ीलत हासिल है। तो हकीकत यह है कि जबउनका मन्हज ही गलत है तो नफ़स और शैतान किसकी मुखालेफ़त करेंगे?मुखालेफ़त तो हक़ बात की होती है।इसी तरह सूफिया ओर शिया के पैरोकार भी ज़्यादा होते हैं तो जब नफ़स और शैतान दोनों अक़ीदे और मन्हज की खराबी में शामिल हैं तो दूसरों को अपने जाल में फंसा ले तो उसकी कोई अहमियत नहीं। इसलिए कि "तहक़ीक़ कि तुम्हारी तरफ और तुम से पहले वालों की तरफ़ यही वहय की गई है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे।" (जुमर–आयत–65)

जब मैं बज़ाते खुद इस जमाअत में शरीक था तो अक़ीदे में कमी और खराबी का अहसास होने लगा था और शरीअत की मुखालेफ़त में शिद्दत आने लगी थी। जज़ीरा ए अरब में एतेकादी कमज़ोरी के लिए शैतान और नफ़्स ही काफी है। फिर तब्लीगी जमाअत या दूसरी तन्ज़ीमों की कामयाबी उनकी बेदारी का नतीजा है। पहले यह 40 साल तक नाकामी का शिकार रही मगर फिर बाद में इस जमाअत ने काफी तरक्की की। मगर हमें अल्लाह की यह बात याद रखनी चाहिए कि "बेशक! अल्लाह तआल शिर्क को माफ नहीं करेगा। हां शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहे माफ कर देगा।" (निसा–आयत–48)

8. आप लोगों का यह कहना कि सऊदी अरब और दूसरे मुल्कों के कुछ उलैमा ने इस जमाअत की ताईद की है तो इस सिलसिले में यह

अर्ज़ हैं कि मुझे नहीं मालूम की किसी मुअतबर आलिम ने उनकी ताईद की है। हां कुछ लोग इनके ऐबों का छुपाकर कुछ उलैमा से इनकी ताईद हासिल कर लेते हैं। लेकिन बड़े उलैमा ने इनकी सख्त पकड़ की है और उनसे बचने की लोगों को ताकीद की है। मसलन शैख हमूद तोयजरनी, शैख अब्दुर्रज़ाक अफ़ीफ़ी, शैख सालेह लहीदान, अब्दुल्लाह अज़यान और सालेह फ़ौज़ान वगैरह।

इसी तरह बहुत से तालिबे इल्म हज़रात जिन्होने कई–कई महीनों व साल इनके साथ लगाए। बल्कि अपने आपको उनकी दअवत में फ़ना कर दिया। यहां तक कि जब उनके मशायख इनसे मुत्मईन हो गये तो जमाअत के खुफिया राज़ और बिदअते उन पर ज़ाहिर करने लगे। फिर तसव्वुफ पर बैअत का ऐलान भी कर दिया। उन्हें शिर्किया खुराफात और बिदअती नुसूस भी बताए। खास तौर पर तब्लीगी निसाब में जो खुराफात हैं उनकी भी जानकारी दी। मैं खुद उनकी तरफदारी करता थाजब उनकी हकीकत मेरे सामने आ गई तो मैंने इस जमाअत को छोड़ दिया और अल्लाह ने मुझे हिदायत दी। (सअद हसीन)

तब्लीगी जमाअत पर मलफूज़ात

अज़– फ़ज़ीलतुल शैख अहमद यहया नजमी

1. तब्लीगी जमाअत के बानी की पैदाइश सूफ़ियत पर हुई थी और तसव्वुफ पर उन्होने दो बैअत भी ली और आखिर दम तक इसी पर कायम रहे। वह पक्के सूफ़ी थे।
2. कब्रों के पास मराकेबा करने और कब्र वालों से कश्फ व करामात और रूहानी फुयुज हासिल करते थे।
3. अब्दुल कुद्दुस गंगोही जो वहदतल वुजूद पर ईमान रखता था। उसकी कब्र के पास चिश्ती मुराक़बे में मसरूफ रहते थे।
4. चिश्ती मुराकेबा यह है कि आदमी अपने सर को ढक कर हर हफ्ते कब्र के पास आधा घंटा तक बैठे और इन लफ्जों के साथ जिक्र करें "अल्लाह हाज़िरी–अल्लाह नाज़िरी।" यह अमल अगर अल्लाह के लिए है तो बिदअत है और अगर इस तरह खुशूअ व खुजूअ साहिबे कब्र के लिए है तो शिर्क है। लेकिन उनका यह अमाल साहिबे कब्र के लिए होता है अगर अल्लाह के लिए होता तो किसी मस्जिद में बैठकर अपना यह अमल जारी रखता–कब्र के पास नहीं बैठता। लेकिन इस तरह खुशूअ व खुजूअ के साथ कब्र के पास बैठना इस बात की दलील है कि उसका यह अमल कब्र वाले के लिए है।
5. इस जमाअत के बानी और इसके पैरोकार सुलूक में सूफ़ी है। सूफ़ियत के चार तरीकों पर बैअत और अमल करते है। ये चार सिलसिले चिश्तिया, नक्शबन्दिया, सहरवर्दिया और कादरिया है।
6. इस जमाअत के बानी का ऐसे शख्स की कब्र के पास बैठना जो वहदतुल वुजूद का अक़ीदा रखता था। इस बात की दलील है कि यह खुद भी वही अकीदा रखते है। अगर ऐसा ना होता तो इस हेबत में किसी कब्र के पास हर गिज़ ना बैठते।
7. इस जमाअत का बानी सूफी, कुबूरी और खुराफी है।
8. इनकी वह मस्जिद जहां से इनकी दावत शुरू होती हैं निज़ामुद्दीन। उसमें चार कब्रे है। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्ल. ने फरमाया था "मखलूक में सबसें बुरे वोह लोग है जिन्होने कब्रों को मस्जिद बना लिया। खबरदार! तुम लोग कब्रों को मस्जिद ना बनाना। मैं तुम लोगो को इन से मना करता हूं।" (बुखरी–1341, मुस्लिम–857)
9. इस जमाअत के बानी का ईमान कश्फ पर था। क्योंकि उसने आयते करीमा "कुनतुम खैरा उम्मती उखरीजत लिल नास" (आले इमरान–आयत–110) की तफ्सीर कश्फे सूफ़ी से की है। जबकि कुरआन की तफ्सीर इस तरह करना जाइज़

नहीं।

10. तब्लीगी जमाअत के लोग बिदअती जिक्र अज़्कार सूफ़ियाना तरीके पर करते है। यानि "ला इलाहा अलग और इल्ललाह अलग।

11. जिसने जानबूझ कर नफी को इस बात। ना को हां से अलग करदिया यानि "ला इलाहा" तो उससे कुफ्र लाज़िम आगया। अगर उसने 500 सो दफा ला इलाहा कहा तो गोया 500 दफा कुफ्र किया। इस बात को शैख तोयजरी रजि. ने उलैमा से नकल करके बयान किया है।

12. सूफियाना तरीके पर जिक्र करना बिदअत और गुमराहीहै। इस तरीके पर अल्लाह की इबादत करना जाइज़ नहीं है। पस! जो "ला इलाहा" 500 दफा कहता है और फिर "इल्लल्लाह" 400 बार कहता है तो वह गुमराह व बिदअती है। बल्कि काफिर। क्योंकि उसने नफी को इस बात से अलग कर दिया है। अब जिसने जान बूझ कर ऐसा किया तो उसने कुफ्र किया। और अगर किसीने जहालत या अंजाने में किया तो यह जहालत कोई उज्र (बहाना) नहीं है।

13. इनके विर्द व औराद में शिर्क व बिदअत बहुत ज्यादा होता है।

14. इनका ऐतेकाद है कि नबी सल्ल. ओर औलिया हज़रात की (मौत के बाद वाली) ज़िन्दगी दुनिया वी ज़िन्दगी है, बरज़खी नहीं।

15. इनके नजदीक तौहीद उलूहियत की कोई अहमियत ही नहीं है।

16. यह लोग तौहीद असमा व सिफात में अशअरी व मातूरीदी है। यह लोग हदीस को बरकत के लिए पढ़ते है।

17. इनकी सारी इबारते तौहीदे रबूबियत के गिर्द घूमती है। जबकि तन्हा तौहीद इस्लाम के लिए काफी नहीं है। क्योंकि

मुश्रिकीने अरब इस तौहीद के इकरार के बावजूद इस्लाम में दाखिल नहीं हो सके।

18. यह तौहीद की तरफ बुलाने वालो से बुग्ज़ और दुश्मनी रखते है। बल्कि उन्हें "वहाबी" का लक्ब देते है। जैसे अल्लामा इब्ने तिमिया रह. इब्ने कय्यिम रह. और शैख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रह.। यह हरकत उनके हक़ से पलटने की सबसे बड़ी दलील है।

19. यह लोग साफ साफ यह बात नहीं कहते कि तागूत का इंकार करना वाजिब है। और ना यही पसन्द करते हैं कि कोई ऐसा कहे बल्कि ऐसा कहने वाले पर सख्त गुस्सा करते है। या अपने पास से भगा भी देते है।

20. यह लोग मुन्किर बातों से नहीं रोकते है। और ना किसी मुन्किर के इन्कार की सराहत करते है।बल्कि मुन्कर पर तवज्जों देना हिकमत के ख़िलाफ समझते है। हालांकि अल्लाह तआला ने इसी वजह से बनु इस्राईल पर लानत की थी कि वोह बुराईयों से नहीं रोकते थे। "बनु इस्राईल काफिरों पर दाऊद अलैहि. और ईसा अलैहि. की ज़बान पर लानत भेजी गई। उनकी ना फरमानी की वजह से और वोह हद से आगे बढ़ते थे। वोह मुन्कर (बुराई) के करने से बाज़ नहीं आते थे। बहुत बुरा है वोह लोग जो करते है। (माईदा–आयत–78–79)

21. इस जमाअत के बानी का यह कौल कि "ला इलाहा इलल्लाह" का मक़सद दिल से यकीन ए फासिद को निकाल कर अल्लाह की जात् पर सही यकीन को दाखिल करना है। इससे ज़ाहिर है कि इनका ईमान वहदतुल वजूद पर है। इनके नज़दीक यकीने फासिद व यकीन है जिस पर हर मुसलमान का अकीदा है कि हर वोह चीज़ जिसको हम देखते है, सुनते है, छूते है, महसूस करते है वोह मखलूक है।

अल बत्ता अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है। और गैर मखलूक है। अल्लाह ही इस मखलूक का खालिक व मालिक है। इसका मुतसर्रिफ है और अर्श पर मुस्तवी है। मखलूक से अलग है मगर उसका इल्म हर जगह है। यह अकीदा वहदतुल वुजूद का अकीदा रखने वालों के नज़दीक बातिल है। गलत है और अल्लाह की ज़ात पर सहीयकीन यह है कि वह अर्श पर नहीं है और रब (अल्लाह) हर वह मखलूक है ज़िसे हम देखते है। इस बुनियाद पर "ला इलाहा इलल्लाह" का मअनी यह होगा कि "अल्लाह के अलावा कोई शेह (चीज़) मौजूद नहीं है।" इस मअनी में हर मौजूद के वजूद की नफी (इंकार) है, सिवाए अल्लाह की ज़ात के।

22. इनका एतेकाद और ईमान ख्वाबो पर, कश्फ व करामात पर, हिकायत और खुराफात पर है। इनका एतेकाद है कि फलां शख्स अपने घर वालों के पास से निकला और उनसे 4 महीने दूर रहा। फिर उनके पास जब वापस आया तो उन्हें अच्छी हालत में पाया। जब लोगों से उसने सवाल किया तो कहा गया कि–एक बूढ़ी औरत रोजाना उसके घर में आती है और घर वालों की खिदमत करती है। इस तरह के किस्से उनके कुछ साथियों से मैंने खुद अपने कानों से सुने है। इस पर इन लोगों का गुमान है कि यह करामत है और यह अमल अल्लाह की मरजी से हुआ है।

23. इस जमाअत ने अपने आपको शारेअ बताया है। अपने पैरोकारों केलिए 6 अरकान ईजाद किये हैं। फिर तीन दिन या दस दिन या 40 दिन या 4 महिने इन्ही की इजाद है। ये खुराफाती आमाल तब्लीगियों के लिए शरीअत हैं। अगर किसी ने इससे तजावुज नहीं किया बल्कि उनके बताये इसी तरीके पर चला तो वह उनके नज़दीक सच्चा वफादार हैं।

24. यह लोग ऐसे वजाइफ को जाईज़ करार देते है। जिसमें

तिलिस्म और अजीबों–गरीब नाम होते है। गालेबन वो शैतानों के नाम होते है। जबकि यह शरअन नाजाइज़ है। इस जमाअत के बारे में उलैमा किराम के अक़्वाल और इनके चन्द वाकेआत इसको पहचानने के लिए काफी हैं। अब जो गुमराह ही होना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है?जब इस जमाअत का मामला यह है तो क्या कोई अक्लमंद खुवाह व तालिबे इल्म ही क्यों ना हो। क्या वह अपने आप को इस जमाअत की तरफ मंसूब करना पसन्द करेगा?हर गिज़ नहीं।

सलफ सालेहीन के मन्हज़ (तरीके) के मुताबिक हक़ की दअवत के लिए किसी नई बैअत की ज़रूरत नहीं हैं। वह अइम्मा किराम जिन्होने पूरी ज़िन्दगी हक़ की तब्लीग व प्रचार पर सर्फ करदी और 14वीं सदी तक अल्लाह के बन्दों की रहनुमाई करते रहे। उन्होने कभी भी किसी से बैअत का मुतालवा नहीं किया। जैसे इमाम अबु हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद, इब्ने तिमिया, इब्ने कय्यिम, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, शैख अब्दुल अजीज बिन बाज़ रह. और शैख मोहम्मद बिन असीमीन वगैरह। अल्लाह तआला इन सब की खताओ को माफ फरमाए और इन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब करें। आमीन!

शैख इब्ने तिमिया रह. ने फरमाया– "किसी के लिए यह जाइज़ नहीं है कि वह अपने लिए किसी से बैअत लें। अपनी मर्जी के मुताबिक जिससे चाहे दोस्ती कराए और जिससे चाहे दुश्मनी कराए। बल्कि जिसने ऐसा किया वह चंगेज़ खान जैसा होगा कि यह लोग अपने मुआफिक कों दोस्त बनाते हैं और अपने मुखालिफ को दुश्मन बनाते है। इनपर वाजिब तो यह है कि वोह इस बात का अहद करें कि वोह अल्लाह की और उसके रसूल सल्ल. की इताअत करेंगे। उनके अहकाम बजा लाएगे। और जिन चीजों व बातों से उन्होने रौका हैं उनसे बचेंगे। (फतावा इब्ने तिमिया–जिल्छ–28–सफा–16)

अब जब सूरते हाल यह है तो हमस ब लोगों को जान लेना चाहिए

कि जो दावत या जो जमाअत रसूल सल्ल. के तरीके के खिलाफ हो वह चाहे कहीं से भी आए कितना ही बेहतरीन लिबास जिस्म पर पहने हुए हो। उसके धोखे में नहीं आना चाहिए। क्योंकि आज कल दीने इस्लाम को दीन के नाम पर मिटाया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है "दीन को दीन ही की तलवार से कांटों और पेड़ कीकिसी डाली को काटदों पेड़ खुद ही कटता चला जायेगा। चुकि सऊदी अरब इस्लाम का किला है। इसलिए ये लोग यहां ज्यादा कोशिशे कर रहें है।

आखिर में हम शैख सालेह बिन फोज़ान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते है। जिन्होने इस रिसाले को बगौर पढ़ा। उसको सही कहा और इसका मुकदमा लिखा। आपने उन लोगों के बारे में जो तब्लीगी जमाअत के साथ निकलना चाहते हैं–कहां "कौम ने जहालत से हक़ को नहीं छोड़ा बल्कि इसलिए छोंड़ा है कि वोह खुद हक़ को नहीं चाहते है। बल्कि वोह उन्ही के मन्हज़ को पसन्द करते है जिनकी वोह लोग वसीयत करते है। जिस पर बैअत लेते है और जिस की तरफ लोगों को बुलाते हैं। लोगों को सही अकीदा अपनाने से रोकते है। और लोगों को इसलिए अपने साथ जमाअत में ले जाते है ताकि उन्हें उनके दीन से फैर दे। इसलिए नहीं की उन्हें तौहीद सिखाए या तौहीद की दअवत को कुबूल करें। लिहाज़ा दअवत के नाम पर उनके साथ निकलना बेकार है।

व आखिरू दअवाना अनिल हम्दु लिल्लाही रब्बिल आलामीन।

बस्सलातु वस्सलामु अला नबियना मुहम्मद वअला आलेहि अस्हाबिही अजमईन।